न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
उपस्थितः श्री अशोक कुमार दुबे-प्रथम (एच०जे०एस०),

सत्र परीक्षण संख्याः-607/2022
कम्प्यूटर पंजीयन सं०-3390/2022
CNR NO-UPLP 0100 7325 2022

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन**

बनाम

छोटू उर्फ राजेश उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता का नाम-मूलचन्द्र, निवासी भैंसौरी, थाना-गोला, जिला-लखीमपुर खीरी ....**अभियुक्त**

मु०अ०सं०-574/2022
धारा-302 भा०द०सं०
थाना-गोला,
जिला-लखीमपुर-खीरी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)-श्री रमा रमन सैनी
विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता-श्री श्रवण कुमार एवं श्री कैलाश
घटना की तिथि-14.08.2022, समय 01.00 A.M. बजे,
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित का दिनांक-14.08.2022, समय 04.47 A.M.बजे,
अभियुक्त की गिरफ्तारी का दिनांक-16.08.2022,
संज्ञान लिये जाने की तिथि-08.09.2022,
सत्र सुपर्दगी दिनांक-21.09.2022,
आरोप विरचित किये जाने की तिथि-17.11.2022,
अभियोजन साक्ष्य अंकित की तिथि-दिनांक 01.02.2023 से 07.07.2026 तक,
बयान 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि-20.12.2025/10.07.2026,
बहस की तिथि-20.07.2026,
निर्णय की तिथि-29.07.2026,

निर्णय

1- मु०अ०सं०-574/2022, थाना-गोला, जिला-लखीमपुर खीरी के प्रकरण में बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त **छोटू उर्फ राजेश** के विरूद्ध धारा-302 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, संज्ञान लिये जाने के उपरान्त उक्त अभियुक्त का विचारण न्यायालय द्वारा किया गया। कालान्तर में पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी महोदय के आदेशानुसार इस न्यायालय को स्थानान्तरण से प्राप्त हुयी है।

अभियोजन कथानकः-

2- वादिनी मुकदमा *लज्जावती पत्नी मेडईलाल, निवासी ग्राम-भैंसोरी, थाना-गोला, जिला-खीरी* द्वारा दिनांक 14.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली-गोला, जिला-लखीमपुर खीरी को संबोधित एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र/तहरीर इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी थी किः-

3- ***"प्रार्थिनी लज्जावती पत्नी मेड़ईलाल निवासी ग्राम भैंसौरी, थाना-गोला, जिला-खीरी की रहने वाली है। आज दिनांक 14.08.22 को रात समय करीब 01 बजे रात मे मेरी पुत्री सीमा देवी , उम्र लगभग 25 वर्ष घर से बाहर लैट्रीन और पेशाब के लिये जा रही थी कि मैंने बिजली की रोशनी मे देखा कि गाँव का छोटू उर्फ राजेश पुत्र मूलचन्द हाथ में कोई धारदार औजार से मेरी बेटी के पेट पर वार कर दिया , मेरी बेटी चिल्लाई तो मैं और मेरे लड़के महेन्द्र दौड़े, तो छोटू उर्फ राजेश वहाँ से भाग गया। घायल अवस्था में पड़ी पुत्री सीमा को गाँव के कुछ लोगों के सहयोग से सरकारी अस्पताल (C.H.C) गोला इलाज हेतु पहुँचे, जहाँ पर डाक्टर द्वारा मेरी पुत्री की मृत्यु हो जाना बताया गया। मेरी पुत्री की लाश सरकारी अस्पताल गोला में रखी है। अतः श्रीमान***

जी से निवेदन है कि सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाये। (लेखक शैलेन्द कुमार यादव ग्राम अजान थाना हैदराबाद जनपद खीरी।)"

पंचायतनामाः–

4– दिनांक–14.08.2022 को समय 03.20 बजे मृतका सीमा देवी के शव का पंचायतनामा **(प्रदर्श क–5)** की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा पंचायतनामा से संबंधित समस्त प्रपत्रों को तैयार करके शव को अन्त्यपरीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया।

अन्त्य परीक्षणः–

5– डा० सुधीर कुमार, एम०ओ०, पी०एच०सी०, देवकली, जिला–लखीमपुर खीरी ने मृतका के शव का दिनांक 14.08.2022 को समय 2.00 पी०एम० पर अन्त्यपरीक्षण किया तथा अन्त्यपरीक्षण आख्या **(प्रदर्श क–14)** तैयार किया, अन्त्य परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृत्यु का कारण "Death is due to shock and haemmorhage as a result of antemortem injuries " अंकित किया है। चोटों का विस्तृत विवरण यथानुसार डाक्टर के बयानों में उल्लिखित किया जायेगा।

प्रथम सूचना रिपोर्टः–

6– वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र पर थाना–गोला, जिला लखीमपुर खीरी पर दिनांक–14.08.2022 को समय 04.47 बजे छोटू उर्फ राजेश के विरूद्ध मु०अ०सं० –574/2022, अन्तर्गत धारा–304 भा०द०सं० दर्ज हुआ। मुकदमें का इन्द्राज उसी दिनांक को जी०डी०–007 पर कायम किया गया, और विवेचना विवेचक को दी गयी।

प्रकरण की विवेचनाः

7– तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दौरान विवेचना विवेचक द्वारा नकल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–12), कायमी जी०डी० (प्रदर्श क–14) की नकल केस डायरी में अंकित किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक के बयान अंकित किये, वादिनी मुकदमा का बयान अंकित किया, वादिनी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी (प्रदर्श क–4) तैयार किया। दिनांक 14.08.2022 को उ०नि०सतीश चन्द्र द्वारा घटनास्थल से खूनालूदा कपडा (वस्तु प्रदर्श–4) अपने कब्जे में लेकर उसकी फर्द (प्रदर्श क–2) मौके पर तैयार की गयी तथा खूनालूद मिट्टी (वस्तु प्रदर्श–3) एवं सादी मिट्टी (वस्तु प्रदर्श–2) घटनास्थल से अपने कब्जे में ली गयी और उसकी फर्द (प्रदर्श क–3) मौके पर तैयार की गयी। पंचानो की राय लेते हुये पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी, तदुपरान्त चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक (प्रदर्श क–6), चिट्ठी सी०एम०ओ० (प्रदर्श क–7), पुलिस फार्म–13/ चालाननाश (प्रदर्श क–8), पुलिस फार्म सं०–379/फोटोनाश (प्रदर्श क–9), नमूना मोहर (प्रदर्श क–10) संबंधी प्रपत्र तैयार करते हुये शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने के उपरान्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल केस डायरी में की गयी। दिनांक 16.08.2022 को अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल चाकू (वस्तु प्रदर्श–1) की बरामदगी करायी गयी, जिसकी फर्द (प्रदर्श क–11) मौके पर तैयार की गयी। पंचायतनामा (प्रदर्श क–5) एवं शव विच्छेदन आख्या के आधार पर दौरान विवेचना धारा–302 IPC की बढोत्तरी की गयी और धारा–304 IPC का विलोप किया गया। अन्य आवश्यक साक्षियों के बयान अंकित किये गये। विवेचना की अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियोजन चलाए जाने हेतु पर्याप्त सामग्री पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा–302 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र (प्रदर्श क–15) न्यायालय में प्रेषित किया गया।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्टः–

8– वस्तुये क्रमशः ***1–मिट्टी खूनालूदा, 2–मिट्टी सादा, 3–चाकू, 4–सलवार, 5–कुर्ता, 6–दुपट्टा, 7–चड्डी, 8–लाल धागा एवं 9–कपडा टुकडा खूनालूदा तथाकित बिस्तर का टुकडा*** परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० महानगर, लखनऊ, उ०प्र० को भेजा गया। वस्तु सं०–1 व 8 के बडे भागों पर रक्त पाया गया एवं रक्त के परीक्षण के लिये वैंजिडिन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी। वस्तु सं० –2,6,8 पर मानव रक्त पाया गया। वस्तु सं० –1, 7 पर रक्त डिसइंटीग्रेड(वियोजित) पाया गया, मूल निर्धारण न हो सका। वस्तु सं०–2 पर रक्त के वर्गीकरण के लिये किये गये परीक्षणों से कोई निश्चित परिणाम न निकल सका। वस्तु सं० –3,6,8 पर रक्त वर्गीकरण के लिये अनुपयुक्त था।

प्रसंज्ञानः–

9– अभियुक्त **छोटू उर्फ राजेश** के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र प्राप्त होने पर दिनांक–08.09.2022 को अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अपराध का संज्ञान तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के

न्यायालय द्वारा लिया गया एवं अभियुक्त उपरोक्त जिला कारागार से तलब किया गया। अभियुक्त के न्यायालय के उपस्थित आने पर उसे अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गयीं।

सत्र सुपुर्दगीः–

10– अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के अभियोग अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांकित 21.09.2022 के माध्यम से मामला सत्र सुपुर्द किया गया, जिसे सत्र परीक्षण सं०–607/2022 के रूप में दर्ज किया गया।

आरोप विरचनः–

11– तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक–17.11.2022 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अं० धारा–302 भा०दं०सं० के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने लगाये गये आरोप से इनकार किया एवं विचारण की मांग की। तदुपरान्त कालान्तर में पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी, महोदय के आदेश से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

12– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

प्रदर्श सं०	**प्रपत्र का नाम**	**साबितकर्ता**
प्रदर्श क–1	प्रार्थना पत्र/तहरीर	पी०डब्लू०–1
प्रदर्श क–2	फर्द खूनालूदा एवं सादी मिट्टी	पी०डब्लू०–3
प्रदर्श क–3	फर्द खून लगा कपडा	पी०डब्लू०–3
प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–5	पंचायतनामा	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–6	चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–7	चिट्ठी सी०एम०ओ०	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–8	पुलिस फार्म–13/चालाननाश	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–9	पुलिस फार्म सं०–379/फोटोनाश	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–10	नमूना मोहर	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–11	फर्द आलाकत्ल चाकू	पी०डब्लू०–6
प्रदर्श क–12	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०–7
प्रदर्श क–13	कायमी जी०डी०	पी०डब्लू०–7
प्रदर्श क–14	शव विच्छेदन आख्या	पी०डब्लू०–8
प्रदर्श क–15	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–9
वस्तु प्रदर्श क–1	आलाकत्ल चाकू	पी०डब्लू०–10
वस्तु प्रदर्श क–2	सादी मिट्टी	पी०डब्लू०–10
वस्तु प्रदर्श क–3	खूनालूद मिट्टी	पी०डब्लू०–10
वस्तु प्रदर्श क–4	खूनालूदा कपडा	पी०डब्लू०–10

13– अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है–

1–लज्जीवती	**पी०डब्लू०–1**	**वादिनी मुकदमा/तथ्य का साक्षी**
2–श्रीमती रूबी	**पी०डब्लू०–2**	**तथ्य का साक्षी**
3–शीलम देवी	**पी०डब्लू०–3**	**तथ्य का साक्षी**
4–महेन्द्र कुमार	**पी०डब्लू०–4**	**तथ्य का साक्षी**
5–दाताराम	**पी०डब्लू०–5**	**तथ्य का साक्षी**
6–सतीश चन्द्र	**पी०डब्लू०–6**	**सम्पोषक साक्षी**
7–कां०रोहित नगर	**पी०डब्लू०–7**	**सम्पोषक साक्षी/चिक लेखक**

8–डा०सुधीर कुमार	**पी०डब्लू०–8**	**सम्पोषकसाक्षी/पी०एम०कर्ता डाक्टर**
9–नि०धर्म प्रकश	**पी०डब्लू०–9**	**सम्पोषक साक्षी/विवेचक**
10–नि०सतीश चन्द्र	**पी०डब्लू०–10**	**सम्पोषक साक्षी/पंचायतनामाकर्ता**

14– पी०डब्लु०–1 **लज्जावती** ने दिनांक–01.02.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "घटना लगभग 5–6 महीना पहले रात में लगभग एक बजे की है। मेरी लड़की घर के बाहर बनी लैट्रीन में पेशाव करने गयी थी। मेरी लड़की का नाम सीमा देवी था। मेरी पोती ने शोर मचाया तो मैं बाहर निकली, मेरी पोती का नाम संध्या है। उस समय बिजली की रोशनी थी। मैंने देखा कि मेरी लड़की घर के बाहर घायल पड़ी थी, उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसके पेट में और हाथ में चाकू की चोटों के निशान थे। मैंने अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश को मौके से भागते हुये देखा था। अभियुक्त राजेश मेरी लड़की से शादी करना चाहता था। मेरी लड़की सीमा देवी राजेश उर्फ छोटू के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिये मैंने अपनी लड़की की शादी गोला में तय कर दी थी। यह बात अभियुक्त राजेश को पता चल गयी थी। इसी बात से चिढ़ कर अभियुक्त राजेश ने मेरी पुत्री सीमा देवी को जान से मारने की नीयत से उसके पेट व शरीर पर चाकू से कई बार कर दिये थे। मेरा मझला लड़का जैहेन्द्र व दामाद अवनीश कुमार मेरी घायल लड़की को मोटरसाइकिल से गोला सरकारी अस्पताल ले कर गये थे। मेरी लड़की के शरीर पर आयीं चोटों के कारण गोला सरकारी अस्पताल के गेट पर ही मर गयी थी। मैं पीछे से अपने लड़के महेन्द्र व चचेरे देवर दाताराम के साथ सरकारी अस्पताल गोला पहुंची थी। तब तक मेरी लड़की मर चुकी थी। मेरी लड़की का सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाया था। मैं थाने पर घटना की सूचना देने गयी थी। गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन पर सूचना दी होगी, तब पुलिस अस्पताल गोला में आयी थी और वहां मेरी पुत्री के शव का पंचनामा किया था तथा पंचनामा पर मेरा भी अंगूठा लगवाया था, तथा फिर लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिये लखीमपुर भेज दिया था। मेरी लड़की के खून में सने हुये कपड़े पुलिस वालों ने लिये थे, फिर कागज पर लिखा–पढ़ी करके मेरा अंगूठा भी लगवाया था। पुलिस वालों ने घटना स्थल से खून लगी व सादी मिट्टी भी अपने कब्जा में ली थी और फिर उसकी भी लिखा पढ़ी करके कागज पर मेरा अंगूठा लगवाया था। मैंने यह तहरीर शैलेन्द्र कुमार यादव से घटना के कुछ समय पश्चात बोल–बोलकर लिखवायी थी। लिखने वाले ने तहरीर मुझे पढ़कर सुनाई थी, उसके बाद मैने अपना अंगूठा तहरीर पर लगाया था। गवाह को कागज सं०–4/4 मूल तहरीर जो पत्रावली में संलग्न है, दिखाया व पढ़कर सुनया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैने थाने पर दी थी, इस पर मेरा निशानी अंगूठा अंकित है। इस पर <u>**प्रदर्श क–1**</u> अंकित किया। घटना के बाद दरोगा जी मेरे घर पर आये थे और मुझसे घटना के संबंध में पूंछतांछ की थी तथा घटना स्थल का नक्शा बनाया था।"

15– <u>**प्रति पृच्छा में**</u> इस साक्षी ने यह कहा है कि "मेरे गांव में मेरी ही बिरादरी के लोग रहते हैं। दो मकान गैर बिरादरी के हैं, एक सरदार का है व एक बंगाली का है। कुल मकान 50–60 मेरे गांव में है। मेरा गांव ग्राम पंचायत बासी में आता है। जब मैं गोला रिपोर्ट लिखाने गयी थी तब गोला में मेरे गांव के प्रधान जी भी पहुंच गये थे। जो प्रधान ने चाहा था वही लिखकर मेरा अंगूठा लगवा लिया था। इसी दरख्वास्त को प्रधान जी ने मुझे कोतवाली गोला ले जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी। उसी रिपोर्ट पर यह मुकदमा बना था जिसमें छोटू उर्फ राजेश जेल गया था। मेरे तीन लडके थे, जितेंद्र, जहिन्द्र व महिन्द। जिस रात मेरी लडकी का कत्ल हुआ था उस रात जितेंद्र घर पर नही था। जहिन्द्र की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। तीनों लडकों की शादियां हो चुकी थी। मेरे तीन ही लडकी थी, जिनके नाम नीलम, शीलम, सीमा थे। नीलम व शीलम की शादी हो चुकी है। जब सीमा का कत्ल हुआ था तब नीलम व शीलम अपनी–अपनी ससुराल में थी। नीलम की ससुराल लखीमपुर शहर के पड़ोस गुड़ियापुरवा में है और शीलम की ससुराल संसारपुर साँखिया में है। संसारपुर सौंखिया मेरे गांव से नौ–दस कोस की दूरी पर है। सीमा की मृत्यु की सूचना पर शीलम अपने ससुराल से अपने पति के साथ घर आयी थी। रूबी मेरी लडकी नहीं है। मेरे चचेरे देवर की लड़की है। मेरे चचेरे देवर का नाम दाताराम है। रूबी भी रात में अपने पिता दाता राम के घर पर थी। घटना वाली रात रूबी मेरे घर पर नहीं थी। मेरे घर का दरवाजा पूरब रूख को है उधर ही मेरे सहन की जगह संदीप की बाउंड्री तक है। मेरे दरवाजे से संदीप की बाऊंड्री तक मेरा सहन लगभग पच्चीस–तीस कदम की चौड़ाई में है। मेरे घर के पूरब तरफ सहन में दौ शौचालय बने है। मेरे मकान के पूरब रुख वाले दरवाजे के लगे हुये एक उत्तर तरफ पड़ोस में व दूसरा दक्षिण तरफ शौचालय बने हुऐ है। घर के किसी व्यक्ति को यदि शौच के लिये अथवा पेशाब जाने को होता है तो वह इसी में से किसी शौचालय में भी चले जाते हैं, दोनो शौचालय चल रहे हैं। सीमा रात को पेशाब करने के लिये उठी थी और किसी भी शौचालय तक पहुंच नहीं पाई थी और न ही पेशाब जा पाई

थी उससे पहले उसका कत्ल हो गया था। शोर पर मैं बाहर निकली थी तब मैने देखा था कि सीमा घायलावस्था में बाहर जमीन पर पड़ी थी। मेरे घर के पूरब वाले दरवाजे के सामने जमीन पर सीमा के शरीर से निकला खून भी काफी पड़ा था। उसके कपड़े भी खून में सने हुऐ थे। दरोगा जी जब आये थे तब मैने घर के पूरब वाले दरवाजे के सामने जमीन पर जो खून पड़ा था वह खून दरोगा जी को दिखा दिया था उन्होने फोटो खींच लिया था। दाताराम का घर मेरे घर के पश्चिम तरफ खडंजे के बाद है। मैं जब सीमा के पास पहुंची थी तो उसको लथपथ अवस्था में जमीन में बैठकर अपनी गोदी में रख लिया था। सीमा के शरीर से निकला हुआ खून मेरे शरीर व कपड़ो में भी लग गया था। मृतका घटना स्थल पर बिल्कुल मर ही गयी, कुछ बोल भी नहीं पाई थी किन्तु उसका शरीर हल्का हल्का गर्म लग रहा था इसलिये हम लोगो ने सोचा था कि दवा ईलाज करा लिया जाये। जब मैं अपने घर से बाहर निकली थी तब मृतका मुझे अकेले घायलावस्था में पड़ी मिली थी, और कोई वहां नहीं था। फिर जहिन्द्र मृतका को लादकर दवा कराने के लिये इस उम्मीद से कि शायद बच ही जाये, गोला लेकर गये थे। साथ में महिन्द्र भी गये थे। वे लोग मोहल्ले के किसी व्यक्ति की मोटरसाईकिल से गये थे। जहिन्द्र मोटरसाईकिल चला रहे थे और महिन्द्र पीछे मृतका की लाश गोद मे लेकर बैठे थे। मुझे इस बात की जानकारी कि मुल्जिम मृतका से प्यार करता था व शादी करना चाहता था नहीं थी। मैने मृतका और मुल्जिम को कभी बात करते हुये न देखा और न ही सुना। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मुल्जिम मृतका सीमा से किसी बात के लिये चिढ़ता था अथवा नहीं। इससे पूर्व मैने जो बयान दिया था उसमे यदि यह बात लिखी हो कि अभियुक्त एक तरफा प्यार मृतका से करता था और मृतका उसको नहीं चाहती थी इसलिये राजेश चिढ गया हो, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती कि उक्त बात कैसे लिख गयी, मैने यह बात अपने पूर्व के बयान में नहीं बताई थी। मेरे घर का एक दरवाजा उत्तर को भी है तथा उस दरवाजे के सामने कोई सहन नहीं है, दरवाजा सीधे पूरब–पश्चिम चलने वाले खड़ंजे पर ही खुलता है। जो उत्तर को दरवाजा है उसके सामने बिजली के खंभे के पड़ोस में चारपाई पड़ी थी। मृतका की लाश मैंने अपने घर के पूरब वाले दरवाजे के सामने के सहन से उठाकर उत्तर वाले दरवाजे के सामने पड़ी चारपाई पर रखा था। ये चारपाई बाध की थी, उसपर एक बिस्तर पड़ा था। उसी चारपाई पर मृतका की लाश को मैने रखा था। इस चारपाई में भी खून लग गया था। मेरे घर के पूरब वाले दरवाजे के सामने जहां पर मृतका घायल अवस्था में पड़ी थी वहां से दाताराम का घर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पडता है। दाताराम के घर के सामने यदि कोई ख़डा हो तो मेरे मकान के पूरब वाले दरवाजे के सामने हुई कोई घटना दिखाई नहीं पडती है। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रही हूं। इस मुकदमे से संबंधित सारी कार्यवाही मेरे माध्यम से प्रधान जी ने ही करवाई थी, सही करवाई या गलत करवाई मैं नहीं जानती।

16– <u>**न्यायालय द्वारा की गयी प्रति पृच्छा में**</u> इस साक्षी ने यह कहा है कि "इस घटना में चाकू मेरी पुत्री सीमा को लगी थी। चाकू राजेश ने मारा था। मैने मारते हुये नहीं देखा था लेकिन जब राजेश चाकू मारकर भाग रहा था तब मैने उसे देखा था। मेरी लडकी घायल अवस्था में पड़ी थी तथा राजेश वहां से भागा था इसलिये राजेश ने ही मेरी लड़की को मारा था मुझे पता है। मैने शोर मचाया था लेकिन वह भाग गया था। मुझे नहीं पता मेरी लड़की को राजेश ने चाकू क्यों मारा था, लेकिन चाकू राजेश ने ही मारा था, अन्य किसी ने नहीं मारा था। राजेश के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति वहां पर था भी नहीं। मेरे घर के बगल पूरब के रास्ते पर घटना हुई थी। मेरी लडकी को क्यों मारा मुझे नहीं पता। जब मैं लडकी के पास पहुंची तो उसका शरीर गर्म था पर वह बोल नहीं पा रही थी, वह जिन्दा थी। उसके बाद हम लोग उसे अस्पताल ले गये थे। राजेश से हम लोगो की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। उस समय राजेश जवान लडका था और मेरी लडकी भी जवान थी, वह शादी लायक थी। यह घटना रात के समय ग्यारह बजे की है। लाईट जल रही थी, उजाला था। गांव में डी० जे० बज रहा था। मुण्डन का प्रोग्राम था इसीलिये लोग रास्ते पर आ जा भी रहे थे।"

17– पी०डब्लू०–2 **रूबी** के रूप में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "घटना दिनांक 14.08.2022 की है। मेरी बहन सीमा देवी से गांव का ही छोटू उर्फ राजेश पुत्र मूलचन्द्र जबरदस्ती शादी करना चाहता था तथा मेरी बहन सीमा देवी मना करती थी तो छोटू उर्फ राजेश ने मेरी बहन से कहा था कि यदि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हे किसी की नहीं होने दूंगा। यह घटना लगभग रात्रि एक बजे की है जब मेरी बहन सीमा देवी लैट्रीन की तरफ पेशाब करने गयी थी, मैने बिजली की रोशनी में देखा था कि छोटू उर्फ राजेश उसके ऊपर चाकू से मार रहा था। मेरी बहन चिल्लाई। मैं व मेरे घर के लोग दौड़े तो छोटू उर्फ राजेश मेरी बहन को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। तब शोर सुनकर गांव के गांव के चाचा, पापा आदि लोग आ गये थे जिनके सहयोग से मैं अपनी बहन को घायल अवस्था में गोला के सरकारी अस्पताल ले गये थे जहां पर मेरी बहन सीमा देवी को मृत घोषित कर दिया था। सीमा देवी मुझसे छोटी थी। पुलिस ने मेरे सामने पंचायतनामा भरा था। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।"

18– **<u>प्रति पृच्छा में</u>** इस साक्षी ने यह कथन किया है कि "आज मैं भैंसोरी से आयी हूं। भैंसोरी में मेरा मायका है। मेरी ससुराल गांव उदयपुर है, जिसका थाना–मैलानी है। मेरी शादी हुये अभी एक वर्ष नहीं हुआ है। मैं पढी–लिखी नहीं हूं। मैं अंग्रेजी के महीने नहीं जानती हूं। मैं अंग्रेजी के सातवां महीना, आठवां महीना तथा छठा महीना क्या होता है, नहीं जानती हूं। घटना किस तारीख की थी, महीना और सन मुझे नहीं पता, पिछली बार जब मेरी अदालत में मुख्य परीक्षा हुई थी तब मुझसे न तो घटना की तारीख पूछी गई थी। जो मैंने नहीं बताई थी फिर कहा कि 14 तारीख बताई थी, सन तथा महीना नहीं बताया था। अगर मुख्य परीक्षा में तारीख के साथ सन तथा महीना लिखा हो, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मुझे हाथ में पहनने वाली घड़ी में समय देखना नहीं आता है। मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है और न ही पहले कभी था। मैं तीन भाई तीन बहनें थे। अब दो भाई तथा दो बहने हैं। मेरे भाइयों का नाम जहेंद्र तथा महेंद्र है। बहनों में मैं तथा मेरी दूसरी बहन शीलम है। जो मुझसे बड़ी है। शीलम की शादी हुई 5 से 6 साल हो गए हैं। शीलम भी घटना वाले दिन घर पर ही थी। मेरे भाई जहेंद्र की मृत्यु हो चुकी है। इसकी मृत्यु बीमारी से हो गई थी, पथरी हो गई थी, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। मेरा गांव छोटा है, अधिकतम 60 से 70 मकान होंगे। मेरा मकान गांव में पश्चिम तरफ है, उसके चारों ओर अन्य लोगों के मकान हैं, मेरे मकान का सदर दरवाजा पूरब साइड को है। मेरे मकान के उत्तर तथा पश्चिम खड़ंजा रास्ता है। मेरे मकान के उत्तर को तथा पश्चिम को कोई दरवाजा नहीं है। मेरे घर का सहन पूरब तरफ ही है। मेरे घर के पूरब तरफ जो मेरा सहन है, उसमें पुबाल वगैरा रखा जाता है और जब जानवर होते हैं, तो रखे जाते हैं। मेरे घर में शौचालय घर के अंदर बना है। मैं यह सब बातें अपने गांव भैंसरी के घर की बता रही हूँ, क्योंकि घटना के समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा मकान कच्चा बना है और चार दिवारी भी कच्ची है। रात में अगर किसी को पेशाब या लैट्रिन के लिए शौचालय जाना पड़े, तो घर के बाहर नहीं जाना पड़ता है, मेरे घर में तीन कच्चे कमरे हैं। अलीगंज से मेरा गांव 2 किलोमीटर है, अलीगंज से मेरा गांव उत्तर–पश्चिम की दिशा को है। मेरे गांव से अगर गोला जाना हो तो अलीगंज होकर ही जाना पड़ेगा। अलीगंज में स्कूल बैंक, नर्सिंग होम तथा कई डॉक्टरों की दुकानें हैं। अलीगंज चौराहे से गोला रोड पर पुलिस चौकी है। अलीगंज में जो नर्सिंग होम है उनमें 24 घंटे सेवा दी जाती है, वह रात भर खुले रहते हैं। हम लोग रविदास बिरादरी के हैं। मुल्जिम छोटे उर्फ राजेश भी मेरी ही बिरादरी का है। मुल्जिम छोटे उर्फ राजेश का मकान गांव के दक्षिण तरफ मेरे मकान से काफी दूरी पर है। मुल्जिम राजेश के यहां हम लोगों का कभी आना–जाना नहीं था और ना आज भी है। राजेश के परिवार में कितने लोग हैं मैं जानती हूं। राजेश का भी मेरे घर कभी आना–जाना नहीं था। मैं राजेश को मृतक सीमा से कभी बात करते ना तो देखा और ना ही कभी सुना। मतृका सीमा के पास कोई मोबाइल नहीं था। राजेश के पास मोबाइल था। मैं गांव में कभी यह नहीं सुना की सीमा तथा राजेश आपस में प्यार करते हो और बातचीत करते हो। राजेश ने कभी भी मुझसे या मेरे घर वालों से अथवा सीमा से अपने साथ शादी करने वाली बात नहीं कही थी। मैंने गांव में यह सुना था कि राजेश मृतका से शादी करना चाहता था। राजेश मृतका के साथ शादी करना चाहता था इस बात की जानकारी मुझे तथा मेरे घर वालों को मृतका की मृत्यु के बाद हुई थी। मृत्यु से पहले मुझे तथा मेरे घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी कि राजेश मृतका से शादी करना चाहता है। यह बात की मुल्जिम मृतका से जबरदस्ती शादी करना चाहता था यह बात मुझे तथा मेरे घर वालों को बाद में पता चली थी। तभी मैं उक्त बातें अपने बयान में दरोगा जी को बताई थी और अदालत में भी वही बात बताई थी। इस बात कि मुझे व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं है। मृतका के शरीर पर जो चोटेँ आई है, यह उसको तब आई थी, जब वह मेरे मकान के पूरब में थी। उसे दिन मेरे बहनोई अवनीश भी घर पर थे जो घर के अंदर लेटे थे। वह मेरे यहां मेरी बहन के साथ दिन में आए थे। मेरे परिवार के सभी लोग मृतका सहित घर के अंदर लेटे थे। जहां पर सीमा चोटहिल हालत में पड़ी थी, वहां पर उसके शोर पर सबसे पहले मेरी मम्मी पहुंची थी उसके बाद मेरे बहनोई मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद मैं मौके पर पहुंची थी, तब मैंने देखा की मृतका मेरे मकान के पूरब वाले सहन में चोटहिल हालत में पड़ी थी। मेरे पहुंचने से पहले मेरी मां मेरे बहनोई वहां मौजूद थे। मृतका वहीं पर पड़ी थी। इसके अलावा और कोई वहां पर नहीं था फिर जब मेरे परिवार वालों ने शोर मचाया और रोने धोने लगे तो गांव वाले इकठ्ठा हो गए थे मम्मी के मौके पर पहुंचने पर तीन से चार मिनट बाद मैं भी मौके पर पहुंच गई थी। मेरे मकान के अंदर दरवाजे के सामने सहन में मृतका पड़ी थी। वहां जमीन पर काफी खून था। जहां मृतका पड़ी थी वह कच्ची जमीन है। खड़ंजा मेरे मकान के उत्तर पश्चिम वाले रास्ते पर लगा है। मैंने सीमा को हाथ लगाकर देखा था तब वह जीवित थी। जब मैं सीमा को छुआ था तो उसका खून मेरे हाथों में तथा कपड़ों पर लग गया था फिर कहा कि मेरे कपड़ों में खून नहीं लगा था यह घटना रात की है। मैं बताने से यह सुना था कि रात के 1:00 हैं। मृतका को चोटहिल हालत में खून से लथपथ मेरे भैया जहेन्द्र व मेरे बहनोई अवनीश बाइक से घटनास्थल से ले गए थे। मेरे बहनोई अवनीश बाइक चला रहे थे और

मार्तिका को पीछे मेरा भाई लेकर बैठा था। मेरे साथ में नहीं गई थी। घर से ले जाने के बाद यह लोग मृतका को कहां–कहां ले गए और क्या–क्या कार्रवाई हुई या मुझे नहीं मालूम है। लेकर जाने के बाद फोन से इन लोगों ने मुझे बता दिया था की सीमा की मृत्यु हो गई है तब सुबह जब हल्का उजाला होने लगा था तब मैं बोल गई थी। फोन पर यह बात पता चल गई थी कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई है और वह लोग गोला में है। फोन पर सूचना मेरे बहनोई अवनीश ने मेरी बहन के फोन पर फोन करके दिया था। मेरी बहन के पास दो फोन है एक मेरे बहनोई के पास है। मैं गोला सरकारी अस्पताल सुबह 5:00 बजे पहुंच गई थी जब मैं पहुंची थी तो लाश पुलिस द्वारा सील कर दी जा चुकी थी। सील वाली लिखा पढी मेरे सामने नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि मैं जैसी घटना कह रही हूं। ऐसी कोई घटना ना हुई हो। मेरे घर के दक्षिण तरफ जो खड़ंजा रास्ता है उस पर मृतका चोटहिल हालत में नहीं पड़ी थी, ना ही घर में दक्षिण तरफ कोई चारपाई पड़ी थी। दरोगा जी ने घटा स्थल मेरे घर में उत्तर तरफ दिखाई हो तो वह गलत है। घटनास्थल मेरे घर के पूर्व तरफ हैं। जिस दिन रक्षाबंधन था उसी दिन की यह घटना है। त्यौहार था सभी लोग थे इसलिए खाना 10:00 बजे हो गया था। मैं तथा मेरी मां ने तथा मेरी बड़ी बहन ने रात में 10:00 बजे के करीब खाना खाया था। खाने में दाल चावल सब्जी रोटी सब था रात में 11:00 बजे परिवार के सभी लोग लेट गए थे। यह कहना गलत है कि किसी समय स्थान व अंधेरे में घटना हुई हो और वह सगी बहन होने के कारण झूठी गवाही दे रही हूं। यह कहना गलत है कि मेरे भाइयों और परिवार वालों को यह तक रहा हो कि मुल्जिम तथा सीमा आपस में मिलते–जुलते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और यह चीज हम लोगों को पसंद ना हो इसलिए मुल्जिम को नामजद कर दिया गया। यह भी कहना गलत है कि रात के अंधेरे की वजह से मैंने कोई घटना ना देखी हो।"

19– पी०डब्लू०–3 **शीलम देवी** ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "मैं अपने मायके रक्षाबंधन वाले दिन आयी थी। रक्षाबंधन के तीसरे दिन तारीख 14 अगस्त वर्ष 2022 को यह घटना हुई थी। रात का एक बजा था। मेरी छोटी बहन मृतका सीमा देवी से अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश निवसी ग्राम भैसोरी शादी करना चाहता था या नहीं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना वाले दिन मेरी बहन रात को एक बजे घर से बाहर निकली थी, लैट्रीन बाथरूम के लिये पीछे से मैं भी अपने बच्चे को लैंट्रीन कराने बाहर निकली तो मैंने देखा कि छोटू उर्फ राजेश मेरी बहन सीमा देवी को चाकू से मार रहा था तथा सीमा चिल्ला रही थी। घटना देखकर मैं भी चिल्लाई और लोगो को बुलाया लेकिन तब तक छोटू उर्फ राजेश मेरी बहन सीमा देवी को मार कर भाग गया था। मैंने लाईट की रोशनी में छोटू उर्फ राजेश को पहचाना था। सीमा देवी को घायल अवस्था में मेरे पति व मेरे भाई लोग अस्पताल ले गये थे जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल ले जाते समय मेरे पति ने सीमा से पूछा था कि तुम्हे किसने मारा है तो उसने दो बार कहा और कोई नहीं, छोटू ने मारा है। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। नकल फर्द पर बना हस्ताक्षर देखकर गवाह ने कहा कि पुलिस ने मेरे सामने खून आलूदा मिट्टी लिया था और मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे जिसपर **प्रदर्श क–2** डाला।

20– **प्रति परीक्षा में** इस साक्षी ने यह कहा है कि "मैं पढ़ी लिखी नही हूं। मेरा मायका भैसोरी गांव में है। मेरी शादी आज से करीब दस वर्ष पूर्व हो गयी थी। मेरे तीन बच्चे हैं। मैं आज गवाही देने अपने ससुराल से आई हूं। मैं घड़ी नहीं पहनती हूं। मैं घड़ी देखना थोड़ा बहुत जानती हूं। घटना गर्मी महीने की थी, सावन का महीना था। मैं अंग्रेजी के महीने नहीं जानती हूं। मैं जनवरी फरवरी.... दिसंबर आदि के महीने नहीं जानती हूं। कौन सा महीना गिनती के किस नंबर पर पड़ता है मैं यह भी नहीं जानती हूं। मैं अपनी शादी की तारीख जानती हूं, मेरे शादी दिनांक 24 मार्च को हुई थी। मेरे तीन बच्चे हैं। मैं अपने सभी बच्चों की जन्म तिथि नहीं जानती हूं, दो की जानती हूं। ये घटना रक्षाबंधन के तीन दिन बाद की है। रक्षाबंधन वाले दिन की रात की नहीं है। जबसे मेरी शादी हुई है तबसे साल में एक दो बार ही मेरा मायके आना जाना होता है। मेरे मायके का गांव भैसौरी है। भैसोरी गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, चालीस पचास मकान होंगे। भैसोरी गांव मे सारे परिवार मेरे ही बिरादरी के हैं, अन्य बिरादरी के केवल दो परिवार हैं, एक सरदार का है व एक बंगाली का है। मृतका सीमा घटना के समय पैरों में चांदी की पायल व कान में बाली व नाक में वाली पहने हुई थी। नाक, कान वाली बाली सोने की थी। सीमा के पास कोई मोबाईल फोन नहीं था। अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश का मकान मेरे मकान से काफी दूरी पर है। अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश का मेरे यहां कभी आना जाना नहीं था और न ही है। न ही हम लोगो का इसके यहां कोई आना जाना था। इसके यहां से हम लोगों के यहां कोई तीज त्योहार में न ही आना जाना था और न ही कोई साथ में खाना पीना था। अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश के पास कोई फोन था या नहीं मैं नहीं जानती। मैंने छोटू उर्फ राजेश को कभी भी मृतका से बात करते हुये नहीं देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। कभी भी अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश ने मेरे घर आकर सीमा से शादी करने की बात नहीं कहीं। अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश सीमा से शादी करना चाहता था या नहीं चाहता था मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूं। मेरे मायके वाले मकान के चारों ओर मेरी ही बिरादरी

व घर परिवार वाले लोगो के मकान है। मेरे मायके वाले मकान का दरवाजा पूरब रूख को है तथा ऊधर ही घर के सहन की खाली जगह है। मेरे मायके वाले मकान का कोई भी दरवाजा उत्तर रुख को नहीं है। मकान के उत्तर तरफ बड़जा रास्ता है जो पूरब पश्चिम को चलता है। मेरे मायके वाले मकान में सरकारी शौचालय बना हुआ है। मेरे मायके वाले घर के अन्दर सरकार द्वारा मिले हुये दो शौचालय बने है, एक मेरी माता को मिला था व एक मेरे भाई को मिला था। जबकि यह घटना है उसके पहले के ये शौचालय बने हुये है। परिवार के किसी सदस्य को यदि रात में शौच या पेशाब जाना हो तो यह घर के अन्दर बने इन्ही शौचालय में चले जाते हैं, घर के बाहर जाना नहीं पड़ता है। मैं अपनी ससुराल से अपने मायके रक्षाबंधन वाले दिन ही आई थी। मेरे साथ मेरे पति व मेरे बच्चे भी आये थे। दिन में रक्षाबंधन मनाया गया था व रात में सभी लोग खाना खा पीकर सो गये थे। उस दिन किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। मेरे पति मेरे मायके में तीन दिन रुके थे। रक्षाबंधन के तीसरे दिन भी सभी लोग शाम का खाना खा–पीकर अपने अपने स्थानों पर सो गये थे। सीमा अपनी मम्मी के साथ लेटी हुई थी। रात में मेरे मकान के पूरब तरफ जो सहन है वहां से चिल्लाने की आवाज आई तो सबसे पहले मेरे मां ही मौके पर पहुंची थी। मां के पहुंचने के तीन–चार मिनट के बाद मैं व मेरे पति व मेरे भाई एवं मेरी अन्य बहनें भी मौके पर पहुंची थी। जब मैं मौके पर पहुंची थी तो मेरी मां सीमा को पकड़े हुऐ बैठी थी और सीमा चोटहिल हालत में मौके पर जमीन पर पड़ी हुई थी। मौके पर मेरी मां तथा मेरी छोटी भतीजी तथा चोटहिल हालत में सीमा पड़ी हुई थी उसके अलावा वहां पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। मेरे मकान के दक्षिण तरफ जसकरन लाल का मकान है, जसकरन लाल मेरे चचेरे चाचा हैं। मेरे मकान के पूरब तरफ सदर दरवाजे के सामने जहां पर सीमा पडी थी वहां जमीन पर काफू खून भी पड़ा हुआ था, जो कि सीमा का था। मेरी मां जो सीमा को पकडे हुये बैठी थी उनके हाथों व कपड़ों में भी सीमा का खून लग गया था। मेरे मायके से अलीगंज थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर से मतलब दो किलोमीटर दूर है। अलीगंज में पुलिस चौकी है व सरकारी अस्पताल है। प्राईवेट अस्पताल भी हैं। अलीगंज में बड़ी सी घरेलू सामान की बाजार भी है। इमरजेंसी में यदि किसी को ईलाज की जरूरत पड़ जाये तो रात में भी अलीगंज में ईलाज हो जाता है। मृतका सीमा देवी माँके पर ही मर गयी थी। हम लोगो को उम्मीद थी शायद सांस चल रही हो इसीलिये ईलाज कराने के लिये घर वाले लेकर गये थे। मैने भी सीमा को छूकर व हिला डुला कर देखा था तो मुझे लग रहा था कि मृत्यु हो चुकी है। मेरे हाथो व कपड़ो में भी मृतका सीमा देवी का खून लग गया था। सीमा को मेरे पति व मेरे भाई जहेन्द्र बाईक पर लादकर ईलाज कराने हेतु गांव से ले गये थे, मैं साथ में नहीं गयी थी। फोन पर मुझे सूचना मिली थी कि ये लोग मृतका को गोला सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। सुबह मैं भी गोला गई थी। मेरे भाई ने फोन पर कहा था कि जल्दी आ जाओं नहीं तो लाश सीलमोहर हो जायेगी, तो मैने कहा था थोड़ी देर रोक लेना मैं देख लूं फिर सील मोहर कराना लेकिन जब तक मैं पहुंची थी तब तक लाश सील मोहर की जा चुकी थी। मेरे घर के दक्षिण तरफ जो पूरब पश्चिम को चलने वाला खडंजा है इस खडंजे पर मृतका सीमा को चोटें नहीं आयी थी और न ही वहां पर सीमा का कत्ल हुआ था बल्कि घर के सामने पूरब तरफ दरवाजे के सामने सीमा को चोटे आयी थी। महेन्द्र कुमार व जहेन्द्र कुमार मेरे भाई हैं व दाताराम मेरे चाचा है तथा अवनीश कुमार मेरे पति हैं। सबसे पहले सीमा के पास मेरी मां पहुंची थी उनके तीन चार मिनट बाद मैं पहुंची थी। इस घटना की बाबत दरोगा जी मुझे मिले थे व पूछतांछ की थी। मैंने दरोगा जी को यह बता दिया था कि मैं भी अपने बच्चे को लैट्रीन बाथरूम कराने के लिये निकली थी, यदि यह बात मेरे बयान में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मेरे मम्मी व भाईयों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मुल्जिम व सीमा एक दूसरे से प्यार करते हों या मुल्जिम सीमा से शादी करना चाहता हो। मैने दरोगा जी को अपने बयान में यह नहीं बताया था कि मुल्जिम कहता था कि मैं सीमा से शादी करूंगा तथा यह भी नहीं बताया था कि मुल्जिम मृतका से जबरदस्ती शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे इन बार्ता की कोई भी जानकारी न तब थी और न ही आज है। यदि मेरे बयान में उपरोक्त बाते लिखी हो तो दरोगा जी ने कैसे लिख दी में इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मेरे रुपट्टे में सीमा का खून लग गया था तथा वो रूपट्टा मैंने सीमा के हाथ में जहां पर चोट लगी थी वहां पर बांध दिया था। इसके अलावा मेरे किन्ही भी कपड़ों में खून नहीं लगा था। जब तक मैं गोला अस्पताल पहुंची थी तब तक लाश को सील कर दिया गया था तथा लिखा पढी की जा चुकी थी। यह कहना गलत है कि जिस प्रकार की घटना होना मैं बता रही हूं उस प्रकार की कोई घटना घटित न हुई हो। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिम छोटू उर्फ राजेश ने मृतका सीमा देवी को चोटे न पहुंचायी हो। यह भी कहना गलत है मृतका को चोर्ट किसी अन्य स्थान, अन्य समय व अन्य प्रकार से आयी हों। मेरे गांव में प्रधानी को लेकर पार्टी बंदी बनी रहती है। यह कहना गलत है कि उक्त पार्टी बंदी के कारण ही फर्जी रिपोर्ट अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश के विरुद्ध लिखाई गयी हो। घटना के समय प्रधान कौन थे मुझे नाम याद नहीं है लेकिन वे घटना के समय मौके पर आ गये थे। उन्ही के बताने के अनुसार ही मेरी मम्मी ने गोला थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। यह कहना गलत है सीमा की सगी बहन होने के नाते मैं झूठी गवाही दे रही हूं।"

21– पी०डब्लू०–4 **महेन्द्र कुमार** ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "आज से लगभग दो साल पहले रात्रि के करीब एक बजे की घटना है। मेरे गांव के जगदीश के यहां डी० जे० बज रहा था इसलिये मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अंदर लेटा था। तभी मेरे गांव का छोटू उर्फ राजेश जगदीश के घर की तरफ से आया और मेरी बहन सीमा देवी उम्र लगभग 25 वर्ष, जो घर से पेशाब के लिये बाहर जा रही थी को कोई धारदार हथियार से पेट में कई वार किये। मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मम्मी, मेरा भाई व मेरी बहन उठकर उसको रोकने व पकड़ने के लिये मौके पर पहुंचे तो वह मौके से भाग गया, पकड़ में नहीं आया। मेरे भाई व मेरे बहनोई मेरी बहन को घायल अवस्था में बाईक से गोला सरकारी अस्पताल ले गये थे। ईलाज शुरू करने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसके पेट में काफी घाव थे, काफी खून बह गया था। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मेरी बहन का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम भी हुआ था।"

22– **<u>प्रति पृच्छा में</u>** इस साक्षी ने यह कथन किया है कि "मैं कुल तीन भाई था। एक मैं स्वयं दूसरे मुझसे बड़े जीतेंद्र और तीसरे जहिंदर। जहिंदर की मृत्यु हो चुकी है। जीतेंद्र बाहर काम करते हैं। इस घटना से 14–15 दिन पहले जब हम तीनों भाई घर पर नहीं थे तब मुल्जिम तथा मेरी भाभियों से कहा सुनी हुई थी। वह दूसरे की लैट्रीन में था। ये बात मैने दरोगा जी को अपने बयान में बता दी थी, यदि दरोगा जी ने उक्त बात मेरे बयान में न लिखी हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। सीमा के कान में सोने की बाली, नाक में फूल और पैरों में चांदी की पायल थी। पंचनामे के समय ये सारी चीजे उसके शरीर पर मिली थी। पंचनामे के समय मैं मौजूद था। पंचायतनामा में यदि इन चीजों के शरीर पर होने का उल्लेख न हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। दाताराम के दो लड़के हैं जिनके नाम सुबेश कुमार तथा नागेश कुमार हैं तथा पांच लड़कियां हैं जिनके नाम क्रमशः मीना देवी, शिल्पी देवी, गोल्डी देवी, रूबी देवी तथा शीलू देवी हैं। मेरी बहनों के नाम क्रमशः नीलम शीलम व मृतका सीमा देवी हैं। रूबी देवी मेरी बहन नहीं है। रुबी देवी घटना वाली रात में मेरे घर पर नहीं थी। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरी शादी करीब आठ साल पहले हो चुकी है। मेरे कोई बच्चे नहीं है। संध्या मेरे बड़े भाई की पुत्री है। मेरे गांव में उस रात जगदीश प्रसाद के यहां डी०जे० बज रहा था। डी० जे० दस बजे रात तक बजा था और पुलिस दस बजे रात तक ही बजने देती है। उस दिन जगदीश ने देर तक डी०जे० बजाया था। देर तक से मेरा तात्पर्य है कि रात में एक–दो बजे के बाद तक बजाया था। चूंकि गांव में डी० जे० बज रहा था इसलिये गांव के लोग पूरी रात रास्तों पर आते–जाते रहे थे। मेरे घर में तीन पक्के कमरे बने हैं बाकी घर की पूरी बाउंड्री कच्ची दीवार की बनी है। घर के अंदर तीनों कमरे एक ही लाईन में बने है और इनका निकास उत्तर दिशा की तरफ है। मेरे मकान का सदर दरवाजा पूरब को है। पूरब तरफ ही मेरे घर का सहन व द्वारा है। इस सहन में मैं वाल, लकड़ी कण्डा ईधन आदि रखता था। घर के अंदर मेरा कमरा बीच वाला था। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में लेटा था। मेरे बाकी भाई अपने अपने कमरों में लेटे थे। मेरी मां, संध्या और सीमा आंगन में लेटे थे। संध्या के शोर पर सबसे पहले मौके पर मेरी मां पहुंची थी। मेरी मां के मौके पर पहुंचने के तीन–चार मिनट बाद मैं, मेरे अन्य भाई व मेरी बहन शीलम पहुंची थी। जब हम लोग मौके पर पहुंचे थे तब मेरी मां की गोद में मेरी बहन सीमा देवी चोटहिल हालत में पड़ी थी। चूंकि सीमा उस समय चोटहिल हालत में अपनी मां की गोद में थी इसलिये उसके शरीर से निकला हुआ खून मेरी मां के कपड़ो में व शरीर में लग गया था। मुझे मौके पर मेरी मां चोटहिल सीमा व मेरी भतीजी संध्या मुझे मिली थी। अन्य कोई वहां पर नहीं था, बाद में शोर शराबा होने व रोने पीटने पर मोहल्ले के काफी लोग आ गये थे। मैने सीमा को चोटहिल हालत में छू कर देखा था तो उसका शरीर कुछ गरम लग रहा था, बाकी वह करीब–करीब मृत अवस्था में थी। जब मैंने सीमा देवी को छुआ था और उसे हिला डुला कर देखा था तब उसका खून मेरे हाथों व कपड़ों में भी लग गया था। चूंकि मौके पर मृतका का शरीर कुछ गरम था इसलिये हम लोगो को लगा कि ईलाज के लिये लेकर चला जाये तो शायद सीमा बच जाये। सीमा को ईलाज के लिये ले जाने की व्यवस्था करने पर मौके पर करीब दो मिनट का समय लगा था। मैं लेकर नहीं गया था मेरा मंझिला भाई जहिंदर व बहनोई अवनीश कुमार लेकर गये थे। मोटरसाईकिल अवनीश कुमार चला रहे थे और जहिंदर मृतका को मोटरसाईकिल पर गोद में लादकर बैठा था। जहिंदर के कपडे मृतका सीमा के खून से पूरे सन गये थे। अलीगंज मेरे यहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। अलीगंज से गोला 15 किलोमीटर दूर है। जहिंदर जब मृतका को मोटरसाईकिल से लेकर गया था तब मैं साथ में नहीं गया था। मोटरसाईकिल से गोला जाने पर लगभग तीस–चालीस मिनट का समय लग जाता है। गोला में सरकारी अस्पताल और थाना एक किलोमीटर की दूरी पर हैं। मैं जहिंदर के घर से जाने के करीब बीस मिनट बाद घर से चला था। रास्ते में मेरी मोटरसाईकिल का पेट्रोल खतम हो गया था इसिलये मुझे गोला पहुंचने में एक से डेढ़ घंटे का समय लग गया था। मैं जब रास्ते में था तभी मुझे जरिये फोन यह सूचना मिल गयी थी कि डाक्टरों ने उसे मरी हुई बता दिया है। मैं जब गोला सरकारी अस्पताल में मृतका के पास पहुंचा था तब रात्रि के करीब ढाई तीन बज रहे थे। अस्पताल में पुलिस आ चुकी थी। जहिंदर और अवनीश मृतका को लेकर पहले थाने गये थे वहां रिपोर्ट लिखाई थी उसके

बाद सरकारी अस्पताल गये थे। मेरे गोला पहुंचने से पहले इस मामले की रिपोर्ट थाने पर लिखी जा चुकी थी। थाने पर रिपोर्ट मेरी मां की ओर से लिखाई गयी थी। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस मुकदमे की रिपोर्ट सुबह लगभग पांच बजे लिखी गयी हो। चूंकि रिपोर्ट मेरे पीछे मेरी मां ने लिखवायी थी इसिलये मैं यह नहीं जानता हूं कि रिपोर्ट में क्या लिखा था। मुल्जिम द्वारा मृतका को चाकू मारने वाली बात मेरी मां ने मुझे बताई थी, उन्होने मुल्जिम को भागते हुये देखा था। मैने मुल्जिम को नहीं देखा था और उसके द्वारा मृतका को चाकू मारे जाते हुये भी नहीं देखा था। जैसा मेरी मां ने मुझे बताया था वही बयान मैने पुलिस को दिया था और उसी आधार पर मैं आज अदालत में बयान दे रहा हूं। लाश को पुलिस वालों ने मेरे सामने सील किया था व लिखा पढी की थी। जिस समय लाश सील करने की लिखा पढी । पंचायतनामा पूरा हुआ था तब तक सुबह का पांच साढे पांच बज चुका था। पंचायतनामा पर दरोगा जी ने मेरे भी हस्ताक्षर कराये थे और दाताराम , लज्ञावती और जहिंदर कुमार का अंगूठा लगवाया था। मैने व अन्य पंचों ने मिलकर दरोगा जी को यह बताया था कि सीमा देवी की मृत्यु शरीर में आयी चोटों के कारण होना प्रतीत होता है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम करा लिया जाये। दरोगा जी ने मेरा बयान पोस्टमार्टम के बाद जब मैंने अपनी बहन संस्कार कर दिया था उसके अगले दिन लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं उक्त बात झूठ बोल रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि घटना के चार दिन बाद मेरा बयान दरोगा जी ने लिया हो। यदि दरोगा जी ने मेरा बयान दिनांक 18–8–22 को लिया जाना दर्शाया हो तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। गोला से अजान गांव दस–बारह किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में है। मेरा गांव गोला से उत्तर तरफ है। मैं अजान के रहने वाले शैलेंद्र कुमार यादव को नहीं जानता हूं। शैलेंद्र कुमार यादव गोला में जब हम लोग मृतका के साथ गोला में थे उस समय वे वहां पर थे या नहीं मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उन्हे पहचानता नहीं हूं। यह कहना गलत है कि मैं मृतका का सगा भाई होने के नाते झूठी गवाही दे रहा हूं।"

23– पी०डब्लू०–5 **दाताराम** ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "मैं घटना की तारीख नहीं जानता हूं। घटना आज से लगभग दो साल पहले की है। मेरे गांव में जगदीश के यहां डी० जे० बज रहा था जो कि मुल्जिम के खानदानी ही है। मैं चारपाई पर लेटा था, लाईट जल रही थी। डी०जे० के पास छोटू उर्फ राजेश मौजूद था। कुछ देर बाद शोर शराबा सुनकर के मैने चारपाई से उठकर देखा कि मुल्जिम छोटू उर्फ राजेश पश्चिम की तरफ खडंजे पर भाग रहा था। उसके हाथ में चाकू था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैने जो देखा था वही बात पुलिस को बता दी थी।"

24– **प्रति पृच्छा में** इस साक्षी ने यह कथन किया है कि "मैं मजदूरी व खेती बाड़ी का काम करता हूं। इस वक्त मैं बाहर काम कर रहा था, मैं जयपुर राजस्थान से वापस आया हूं। मेरे पांच लडकियां हैं, जिनके नाम मीना, शिल्पी, गोल्डी, रुबी तथा सिम्मी है। सिम्मी सबसे छोटी है। मेरे दो लड़के भी हैं जिनके नाम सुभाष व नागेश है। मेरा घर पूरब रुख को है तथा तिराहे से एक मकान दक्षिण है। लज्ञावती के मकान के ठीक सामने मेरा मकान पड़ता है। मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है। मेरे घर के पूरब वाले दरवाजे पर छप्पर पड़ा है। छप्पर की उलौती पूरब को ही है। उलौती जहां है वहां पर जमीन से छप्पर की ऊंचाई तीन–चार फिट की है। इसी छप्पर के नीचे मेरा बल्व लगा था वही जल रहा था। लज्ञावती के मकान का सदर दरवाजा पूरब रुख को है तथा उधर ही उनका सहन है जो संदीप के हाते तक है। इनके दो दरवाजे उत्तर को हैं जो खड़जे पर ही खुलते हैं। लज्ञावती के घर के शौचालय घर के बाहर पूरब की तरफ सहन में बने है। मृतका सीमा उसी सहन में घायल हुई थी। गांव में डी०जे० बज रहा था। इसलिये गांव के रास्तों पर रात भर लोगो का आना जाना चलता रहा था। मेरे मकान के पूरब तरफ खडंजा जो उत्तर–दक्षिण को चलता है उसपर भी लोग रात भर निकलते रहे और लज्ञावती के मकान के उत्तर तरफ खड़ंजे पर भी लोग रात भर आते जाते व निकलते रहे। जब हल्ला गुल्ला हुआ तब मैने उठकर देखा तो मैने मुल्जिम को लज्ञावती के मकान के उत्तर तरफ जो ख़डंजा है उसपर पश्चिम की ओर भागते देखा। सीमा घायल अवस्था में लज्ञावती के पूरब वाले सहन में खडंजे से आठ–दस कदम दक्षिण तरफ पड़ी हुई थी। बाद में मृतका सीमा को वहां से उठाकर लज्ञावती के घर के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के सामने पड़ी चारपाई पर डाला गया था। जब मैने मुल्जिम को भागते हुये देखा था तब वह लज्ञावती के मकान के पूरब तरफ बीस–पच्चीस कदम आगे खड़ंजे पर निकल गया था। लज्ञावती के मकान के चौडाई पूरब से पश्चिम तक करीब बीस–पच्चीस कदम है। मेरे घर के सामने लगा हुआ खड़ंजा चौड़ाई में पांच कदम है। मैने शोर पर मुल्जिम को भागते हुये अपने छप्पर के नीचे जहां मैं सो रहा था वहीं से देखा था। मैंने मुल्जिम के हाथ में भागते समय सात अंगुल लम्बाई का चाकू देखा था। मैने मुल्जिम को लगभग साठ कदम की दूरी से देखा था। एक कदम में मेरे अनुसार तीन फिट होते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं देखा था। मैने मृतका को किसी के द्वारा मारते हुये नहीं देखा था। सिर्फ मुल्जिम को भागते हुये देखा था। रात भर इन दोनो खड़ंजो पर जो मेरे मकान के सामने है गांव के बहुत लोग आते जाते व भागते रहे थे। मेरे गांव में प्रधानी को लेकर पार्टी बंदी है। मृतका मेरी सगी भतीजी थी। मैं व मेरा

परिवार व खानदान जिस प्रधान के पक्ष में थे मुल्जिम का परिवार व मुल्जिम उनके विरोधी के पक्ष में थे। इसी बात की गांव में पार्टीबंदी बनी रहती है, मेरे तथा मुल्जिम के परिवारों के बीच। घटना स्थल पर गांव के अन्य तमाम लोग आ गये थे लेकिन पुलिस ने मेरे घर वालों के अलावा अन्य किसी को गवाह नहीं बनाया। यह कहना गलत है कि मृतका के मेरी भतीजी होने व गांव में पार्टीबंदी होने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। मैं डी०जे० देखने नहीं गया था। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि छोटू उर्फ राजेश डी०जे० के पास थे या नहीं थे। मेरे घर शाम को सात–आठ बजे खाना पीना हो जाता है और लोग अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिये चले जाते हैं। मैं भी आठ से नौ बजे के बीच अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रहा था। मेरे सोने के एक घंटे बाद ही हल्ला मच गया था। मैं सो रहा था, नींद में था इसलिये कुछ देर तक तो मैं समझ नहीं पाया कि यह हल्ला किस बात के लिये हो रहा है। इसीलिये मैने किसी प्रकार की घटना नहीं देखी थी। जब मैं पहुंचा था तो मृतका के घर वाले उसके भाई व उसकी मां यह कह रहे थे कि मृतका को राजेश मार गया है। इसी से मुझे जानकारी हुई थी। यह कहना गलत है कि मैं मृतका के घर परिवार का होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूं। यह भी कहना गलत है कि जैसी घटना होना मैं बता रहा हूं वैसी कोई भी घटना न घटित हुई हो। यह भी कहना गलत है कि घटना किसी अज्ञात समय पर तथा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गयी हो और किसी ने घटना न देखी हो। यह भी कहना गलत है कि गांव की पार्टीबंदी की वजह से झूठा मुकदमा लिखाया गया हो और मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।"

25– पी०डब्लू०–6 **निरीक्षक सतीश चन्द्र** ने दिनांक 15.01.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 14.08.2022 को मैं थाना–गोला में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था, उस दिन मुझे मुकदमा अपराध सं०–574/2022 धारा–304IPC की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी और सी०डी० पर्चा –1 तैयार की गया था, जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट व पंयाचनामा व बयान वादिनी चश्मदीद लज्जा देवी व शीलम देवी व रूबी अंकित किया था तथा वादिनी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था व खूनालूद मिट्टी व कपड़ा सील मुहर कर फर्द तैयार की थी, जिसका अंकन किया था। दिनांक 15.08.2022 को सी०डी० पर्चा नं०–2 किता किया था, जिसमें पी०एम०रिपोर्ट का अंकन किया था। दिनांक 16.08.2022 को सी०डी०पर्चा नं०–3 किता किया था, जिसमें अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश की गिरफ्तारी की गयी थी और उसका बयान अंकित किया गया था और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। पंचायतनामा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, शामिल पत्रावली है, जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया तथा इसके साथ–साथ अन्य दीगर कागजात चिट्ठी आर०आई० पर प्रदर्श क–6, चिट्ठी सी०एम०ओ० पर प्रदर्श क–7, चालाननाश पर प्रदर्श क–8, फोटोनाश पर प्रदर्श क–9 तथा नमूना मोहर पर प्रदर्श क–10 अंकित किया गया। दिनांक 18.08.2022 को सी०डी० पर्चा सं०–4 किता किया गया, जिसमें बयान श्री महेन्द्र कुमार, जहेन्द्र कुमार, दाताराम अंकित किये गये। दिनांक 20.08.2022 को सी०डी० पर्चा सं०–5 किता किया गया, जिसमें मूल पंचायतनामा, मूल पी०एम० प्राप्त होने पर उसका अंकन किया गया। दिनांक 22.08.2022 को सी०डी० पर्चा सं० –6 किता किया गया। जिसमें एफ०एस०एल० रिपोर्ट भेजने के उपरान्त सी०एच०सी० देवकली जाकर डा०सुधीर कुमार का बयान अंकित किया गया तथा तमामी विवेचना व पी०एम०रिपोर्ट के आधार पर धारा–304 से धारा–302 भा०दं०सं० तरमीम करते हुये विवेचना प्रभारी निरीक्षक को स्थानान्तरित की गयी। आलाकत्ल पर **प्रदर्श क–11** अंकित किया गया।"

26– **बचाव पक्ष** द्वारा की गयी **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने यह बताया है कि "आलाकत्ल इस समय मेरे सामने नहीं है। पी०एम०करने वाले डाक्टर का बयान मैंने दिनांक 22.08.2022 को लिया था। मैंने डाक्टर साहब को आलाकत्ल दिखाते हुये यह नहीं पूछा था कि क्या इससे मृतका को आयी हुयी चोटें आ सकती हैं। मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के माध्यम से यह नहीं निर्धारित किया था कि जो आलाकत्ल की बरामदगी मैं कहता हूं वह इस घटना में प्रयुक्त हुआ था या नहीं। मुल्जिम की गिरफ्तारी मैंने दिनांक 16.08.2022 को साढे दस बजे सुबह की थी। मुल्जिम को लखरावां के पास से गिरफ्तार किया था। कोई जनता के गवाह नहीं मिले थे। मुखबिर मुझे किस समय मिला था, समय मुझे याद नहीं है। मूड़ा सवायन एक चौराहा है। रोड पक्की है। इस चौराहे पर लोग आते–जाते रहते हैं। जनता का कोई व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ था। मैं जनता के किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता पाऊंगा। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी का नक्शा नहीं बनाया था। बरवक्त गिरफ्तारी मुल्जिम के पास से कोई भी चीज की बरामदगी नहीं हुयी थी जैसे पुडिया, माचिस, रूपया–पैसा की बरादमगी नहीं हुयी थी, केवल चाकू बरामद हुआ था। बरामद चाकू का फल धारदार तीन अंगुल बट करीब चार अंगुल फर्द में अंकित है। यह कहना गलत है कि मुल्जिम को कथित स्थान से गिरफ्तार न किया गया हो, बल्कि उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया हो। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिम के पास से चाकू बरामद न हुआ हो। वादिना का बयान मैंने दिनांक 14.08.2022 को लिया था। समय का मुझे ध्यान नहीं है। वादिनी ने अपने बयान में अपने तीनों लड़कों के नाम महेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार व जहेन्द्र बताया था और अपनी तीनों

लड़कियों के नाम नीलम, शीलम व मृतका सीमा बताया था। अपनी किसी लड़की का नाम रूबी नहीं बताया था। वादिनी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मैं पीछे से अपने लड़के महेन्द्र व चचेरे देवर दाताराम के साथ सरकारी अस्पताल गोला पहुंची थी। शीलम देवी का बयान मैंने दिनांक 14.02.2022 को लिया था। समय का मुझे ध्यान नहीं है। शीलम देवी ने मुझे अपने बयान में यह नहीं बताया था कि *"अस्पताल ले जाते समय मेरे पति से सीमा से पूछा था कि तुम्हें किसने मारा है, तो उसने दो बार कहा और कोई नहीं छोटू ने मारा है।"* दाताराम ने मुझे अपने बयान में यह नहीं बताया था कि "कुछ देर बाद और शाराबा सुनकर के मैंने चारपाई से उठकर देखा कि मुल्जिम छोटू उर्फ राजेश पश्चिम की तरफ खडन्जे पर भाग रहा था। उसके हाथ में चाकू था।" घटना स्थल का निरीक्षण मैंने किया था। निरीक्षण घटना स्थल वादिनी की निशानदेही पर कियाथा। वादिनी के मकान का एक दरवाजा पूरब रूख को है और दो दरवाजे उत्तर की तरफ हैं। उत्तर को जो दो दरवाजे हैं उनमें से पश्चिम वाले दरवाजे के आगे चारपाई पड़ी थी। चारपाई के उत्तर खडन्जे पर जो मैंने X स्थल दर्शाया है, वह घटनास्थल है। मैंने नक्शा नजरी में शौचालय कहां पर बने थे, नहीं दर्शाया है, लेकिन घर के पूरब वाले दरवाजे पर बने थे। मैंने इस बात का कोई क्लेरीफिकेशन नहीं किया था कि मकान के पूरब वाले दरवाजे की तरफ शौचालय बना था तो मृतका उत्तर वाले दरवाजे की तरफ क्यू आई। मृतका के मकान के पूरब रूख वाले दरवाजे के बाहर मृतका का खून नहीं पड़ा था और किसी गवाहान ने यह भी नहीं बताया था कि पूरब रूख को दरवाजे के सामने मृतका को चोटें आई थी। चारपाई पर कोई खून नहीं मिला था। मैंने खूनालूद व सादी मिट्टी मैने नक्शा–नजरी के उल्लिखित X स्थान से ली थी। X घटना स्थल खडन्जा पर है। खूनालूद ईंटों को खुरच कर निकाली गयी थी। इसका उल्लेख मैंने न तो फर्द बरामदगी खूनालूद व सादी मिट्टी में किया है और न ही घटना स्थल के निरीक्षण में। यह कहना गलत है कि मैंने गलत रूप से विवेचना की है व सी०डी० 1 से सी०डी० 6 तक के पर्चे थाने पर बैठे–बैठे तैयार करे हैं। शव का पंचानामा मैंने किया था। पंचनामा मैंने वार्ड बॉय द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया था। सूचना थाने पर 02:54 बजे दी गयी थी। उसमें यह बताया गया था कि मृतक को उसके भाई जेहन्द्र द्वारा मृत अवस्था में अस्पताल में दाखिल किया गया था। जब मैं पंचनामा करने सरकारी अस्पताल पहुंचा था तो मृतका का शव एक पत्थर की की बेंच पर सी०एच०सी गोला में चित अवस्था में रखा हुआ मिला था। पंचायतनामा भरने की कार्यवाही मैंने 14.08.2022 को सुबह 04:20 बजे पूरी कर ली थी। पंचनामा होने तक इस मामले का मुकदमा थाने पर दर्ज नहीं हुआ था। मैंने पंचान के रूप में महेन्द्र कुमार, जहेन्द्र कुमार पुत्रगण स्व० मेडईलाल, दाताराम पुत्र पुत्तूलाल, श्रीमती लज्ञावती पत्नी स्व० मेडईलाल व अवनीश कुमार पुत्र नीलकंठ को पंच नियुक्त किया था। इन पंचों की मैंने अलग–अलग व सामूहिक रूप से मृत्यु के संबंध में राय भी पूछी थी। इनमें से किसी ने भी मृतका को मुल्जिम छोटू उर्फ राजेश द्वारा चोटें पहुंचाने की बात नहीं बतायी थी।"

27– पी०डब्लू०–7 **कां०रोहित नागर** ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ बयान किया है कि "दिनांक 14/08/22 को मैं थाना गोला में कान्सटेबल क्लर्क के पद पर कार्यरत था उस दिनांक को वादिनी मुकदमा लज्ञावती के द्वारा एक किता हस्तलिखित तहरीर दी गयी थी जिसके आधार पर मेरे द्वारा अप सं० 574/22 कंप्यूटरीकृत चिक मेरे द्वारा किता की गयी थी जो शामिल पत्रावली है मेरे सामने है जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया। तथा उसी दिनांक को समय करीब 4:47 बजे कंप्यूटरीकृत कायमी मेरे द्वारा किता की गयी जी०डी० सं० 7/22 दिनांकित 14/08/22 को मेरे द्वारा किता की गयी थी। कंप्यूटरीकृत कायमी शामिल पत्रावली है मेरे सामने है जिस पर प्रदर्श क 13 डाला गया। विवेचक के द्वारा मेरा बयान लिया गया था।"

28– **<u>प्रति पृच्छा में</u>** इस साक्षी ने यह कहा है कि "मैंने चिक लिखित तहरीर के आधार पर काटी थी। उस तहरीर में उल्लेखित तथ्यों की प्रमाणिकता के बारे मे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। प्रदर्श क 12 चिक पर लगी सील आदेश न्यायालय जाये क्षेत्राधिकारी गोला पर सूक्ष्म हस्ताक्षर है पर कोई तिथि अंकित नहीं है इसी पर seen अंकित है नीजे सी० जे०एम लिखा है तारीख 17/08/22 अंकित है सूक्ष्म हस्ताक्षर है इस, मुकदमे के कायम होने के पहले व बाद में कोई संज्ञेय अपराध का मुकदमा किस तारीख व समय पर कायम हुआ मैं नही बता पाऊँगा। प्रदर्श क 12 के क्रम सं० 14 पर सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर अँगूठे का निशान छपा हुआ है किन्तु कोई हस्ताक्षर या निशानी अँगूठा नहीं लगा है। इसी के क्रम सं० 15 पर अदालत में प्रेषण का दिनांक व समय छपा हुआ है किंतु कोई दिनांक व समय अंकित नहीं है। चिक और जीण्डी का समय एक ही है वादिनी के हमराही उसके पुत्र महेन्द्र व जहेंद्र थे। यह कहना गलत है कि मैं जिस समय मुकदमा लिखा जाना कहता हूँ उस समय मुकदमा न लिखा गया हो।"

29– पी०डब्लू०–8 **डा०सुधीर कुमार** ने दिनांक 12.12.2025 तो न्यायालय समक्ष उपस्थित आकर सशपथ बयान किया है कि मैं दिनांक 14.08.2022 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवकली पर तैनात था, उस दिन मेरी ड्यूटी शव विच्छेदन हेतु शव विच्छेदन गृह लखीमपुर पर थी। उस दिन का० लक्ष्मीकान्त व कां० आरती शर्मा सीमा देवी पुत्री स्व० मेडईलाल निवासी भैंसौरी थाना–गोला, जिला–खीरी का शव सर्वसील मोहर

हालत में लेकर उपस्थित हुये थे। शव के सीलों का मिलान मैंने शव के साथ आये पुलिस प्रपत्रों में से नमूना मोहर से किया था। सीले दुरूस्त व सुमेल पायी गयीं थीं। शव की पहचान शव को लाने वाले सिपाही लक्ष्मीकांत व आरती शर्मा ने किया था। शव का शव विच्छेदन मैंने दिनांक 14.08.2022 को डेढ़ बजे प्रारम्भ कर उसी दिन दो पी०एम० पर समाप्त किया था। शव सी०एच०सी० गोला पर मृत अवस्था में दिनांक 14.08.2022 को 2 A.M. पर लाये जाने की सूचना पुलिस प्रपत्रों के साथ आये प्रपत्र सं०–6 पर अंकित था। मृतका की उम्र 25 वर्ष ऊंचाई 166 सेमी० मध्यम व औसत कद काठी का था। मृतका के शरीर पर एक सलवार, एक कुर्ता, एक दुपट्टा, एक चड्ढी तता गले में एक लाल रंग का धागा पाया गया था। मृत्यु पश्चात की अकडन शरीर के ऊपरी व निचले स्थान पर मौजूद थी। पी०एम० स्टेनिंग पीठ पर मौजूद थी। जमा हुआ खून मृतका के शरीर तथा कपडों पर पाया गया था। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्न लिखित चोटें पायी गयी थीं–

<u>चोट सं०–1</u> बहुत सारे पंचर्ड घाव जो कि 30cm x 25cm पेट के ऊपरी भाग पर मौजूद थे, जिसमें सबसे बडा घाव 2cm x 1cm जो कि पेट की गहराई तक मौजूद था तथा सबसे छोट घाव 1cm x 0.5cm x मांस की गहराई तक मौजूद था जिसके विच्छेदन करने पर पेरीटेनियम, लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बडी आंत, पंक्चर्ड पायी गयी थी। पेट के अन्दर 500 M.L.जमा हुआ तथा तरल खून मौजूद था।

<u>चोट सं०–2</u> पंकचर्ड घाव 2cm x 0.5cm रक्त वाहिका गहराई तक जो कि दाहिनी जांघ के दाहिनी ओर ऊपरी भाग पर अंदर की ओर फिमोरल ऑट्री पंक्चर्ड पायी गयी थी। आंतरिक परीक्षण करने मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियां, दोनों प्लूरा, दोनों फेफड़े, दोनों गुर्दे पेल पाये गये थे। आमाशय खाली था। गर्भाशय खाली था। मूत्राशय भी खाली था।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु 1/2 दिन पूर्व मृत्यू पूर्व आयी चोटें के कारण रक्तस्त्राव के परिणामस्वरूप सदमे से हुयी थी।

शव विच्छेदन करते वक्त मैंने शव विच्छेदन आख्या अपने हस्तलेख में तैयार की थी तथा शव विच्छेदन आख्या एवं शव के साथ आये प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। शव विच्छेदन आख्या पुलिस प्रपत्र, शव के साथ पाये कपड़े, शव के साथ आये सिपाहियों को सुपुर्द कर दिया था। मेरे द्वारा तैयार शव विच्छेदन आख्या मेरे समक्ष, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

30– **<u>प्रति पृच्छा में</u>** इस साक्षी ने यह कहा है कि सभी चोटें नुकीले औजार से आयी प्रतीत होती थी। चोटों की प्रकृति को देखते हुये यह स्पष्ट होता है कि औजार नुकीला हो रहा होगा। घाव का कोई हिस्सा कटा हुआ नहीं था। इन चोटों को पहुंचाने में औजार के किसी तरफ धार नहीं होगी। यह कहना गलत है कि मैंने गलत तथ्यों के आधार पर शव विच्छेदन आख्या तैयार की हो। चाकू में एक तरफ धार होती है और उसका अग्रभाग नुकीला होता है, चाकू अगर भोंका जाये तो घाव की कोई न कोई एक साइड कटी होगी।

31– पी०डब्लू०–9 **निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला** ने दिनांक 12.12.2025 को न्यायालय समक्ष जरिये वी०सी० उपस्थित आकर सशपथ बयान किया है कि "मैं दिनांक 23.08.2022 को थाना गोला पर बतौर प्रभारी निरीक्षक तैनात था। उस दिन मैंने मुकदमा अपराध संख्या 574/2022 की विवेचना ग्रहण कर पूर्व किता किये गये पर्चा का अवलोकन किया था। उक्त मुकदमे में धारा 304 IPC का लोप करते हुए धारा 302 IPC में तरमीम किया गया था। अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश को धारा 304 IPC में चालान माननीय न्यायालय किया गया था। चूंकि मुकदमा 302 IPC में तरमीम किया गया थी जिस हेतु माननीय न्यायालय से धारा 304 IPC से स्थान पर धारा 302 IPC में रिमाण्ड स्वीकृत करने की याचना की गयी थी। दिनांक 25.08.2022 को एफ०आई०आर० लेखक कॉ० मोहर्रिर रोहित नागर का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया गया था। दिनांक 29.08.2022 को माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 304 IPC से धारा 302 IPC में तरमीम किये जाने के कारणों को जानने हेतु पूर्व किता सी०डी० को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियुक्त को अं०धारा 302 IPC में रिमाण्ड लिये जाने की याचना माननीय न्यायालय से की गयी थी, माननीय न्यायालय द्वारा चौदह दिवस का रिमाण्ड स्वीकृत किया गया था। दिनांक 30.08.2022 को पंचांग गवाह महेन्द्र कुमार, जहेन्द्र कुमार, दाताराम, लज्जावती, अवनीश कुमार तथा मालमुकदमाती को विधिविज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ में दाखिल करने वाले हेड कॉ० प्रेम चन्द्र रावत, शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाने वाली तथा पोस्टमार्टम कराने वाली महिला आरक्षी आरती शर्मा, कॉ० लक्ष्मीकांत तथा पंचायतनामा की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक सतीश चन्द्र यादव का बयान लेकर केस डायरी पर अंकित किया था। तमामी विवेचना, बयान वादिनी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान चश्मदीद, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर छोटू उर्फ राजेश के विरुद्ध अं०धारा 302 IPC का अपराध बखूबी साबित होने पर उक्त का चालान बजरिये आरोप पत्र संख्या 512/2022 दिनांकित 30.08.2022 को कम्पयूटर आपरेटर से बोलबोलकर तैयार कराया था तथा उस पर मैंने अपने

हस्ताक्षर बनाकर न्यायालय को वास्ते विचारण प्रेषित किया था। मेरे द्वारा प्रेषित आरोपपत्र मेरे समक्ष है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया।"

32– **प्रति पृच्छा में** इस साक्षी ने यह कहा है कि "न तो मैंने मुल्जिम की गिरफ्तारी की थी और ना ही आलाकत्ल मेरे द्वारा बरामद किया गया था। पूर्व विवेचक श्री सतीश चन्द्र द्वारा किया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने गलत विवेचना कर फर्जी आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो।"

33– पी०डब्लू०–10 **निरीक्षक सतीश चन्द्र** ने दिनांक 07.07.2026 को न्यायालय समक्ष जरिये वी०सी० उपस्थित आकर सशपथ बयान किया है कि–"मेरे द्वारा खूनालूद कपडा घटनास्थल से बरामद कर फर्द व फर्द खूनालूद सादी मिट्टी व बरामद एक अदद चाकू आलाकत्ल की फर्द मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जिसके संबंध में आज माल मुकदमा न्यायालय में उपलब्ध है। माल मुकदमा सफेद मारकीन कपड़े में सर्व सील मोहर अवस्था में लाया गया। कपड़े के ऊपर गोल घेरे में 17 अंकित है। खीरी 461–5–22 Cr No.– 574/22, U/S 304 IPC, PS गोला, S/v छोटू काले स्केच पेन से लिखा हुआ है तथा सील दुरुस्त अवस्था में उपस्थित हैं। अभियुक्त अधिवक्ता की उपस्थिति में न्यायालय के आदेश पर कपड़े पर लगी सील को खोला गया। सील खोलने पर पोटली के अंदर से चार प्लास्टिक के डिब्बे निकले जो एक सफेद कपडे में सील है। पहले डिब्बे के ढक्कन के ऊपर 26–04–23, केस नं० 461–5–22 प्रदर्श सं० 01 विधिविज्ञान प्रयोगशाला महानगर की चिट चस्पा है, कले पेन से कपड़े के ऊपर 461–5–22 तथा कपड़े के दूसरी ओर मु०अ०सं० 574/22 धारा 304 IPC थाना गोला खीरी, घटना स्थल से ली गयी खूनालूद मिट्टी सील सर्व मोहर अंकित है। दूसरी डिब्बे पर कपड़ा सील मोहर अवस्था में है जिसमें कपड़े के अंदर रखी हुई पर्ची निकली जिस पर 26–04–23, केस नं० 461–5–22 प्रदर्श सं० 03 विधिविज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ अंकित है तथा कपड़े के ऊपर 461–5–22 तथा कपड़े के दूसरी ओर मु०अ०सं० 574/22 धारा 304 IPC थाना गोला खीरी, घटना स्थल से ली गयी सादी मिट्टी सील सर्व मोहर अंकित है। तीसरे डिब्बे पर कपड़ा सील मोहर अवस्था में है जिसके ढक्कन पर पर्ची चस्पा है जिस पर 26–04–23, केस नं० 461–S–22 प्रदर्श सं० 08 विधिविज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ अंकित है तथा कपड़े के ऊपर 461–5–22 तथा कपड़े के दूसरी ओर मु०अ०सं० 574/22 धारा 304 IPC थाना गोला खीरी, मृतका के बिस्तर से खून के छब्बे लगे पकड़े का टुकड़ा काट कर सील किया गया, अंकित है। चौथे डिब्बे पर कपड़ा सील मोहर अवस्था में है जिसके ढक्कन पर पर्ची चस्पा है जिस पर 26–04–23, केस नं० 461–5–22 प्रदर्श सं० 02 विधिविज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ अंकित है तथा कपड़े के ऊपर 461–S–22 तथा कपड़े के दूसरी ओर नीले पेन से मु०अ०सं० 574/22 धारा 304 IPC थाना गोला खीरी से संबंधित चाकू बनाम छोटू उर्फ राजेश अंकित है तथा नीचे अपठनीय हस्ताक्षर दिनांक 16.08.22 अंकित है तथा दूसरी तरफ Seen ऊसके नीचे CJM दिनांक 16.08.22 अंकित है तथा पोटली के अंदर कपड़े निकले जिनका रंग एक लाल, पील छींटदार तथा एक नीला कपड़ा निकला। डिब्बा जिसके अंदर चाकू रखा हुआ है, को खोला गया तो उसमें से एक अदद लोहे का सफेद रंग का फोल्डिंग चाकू निकला जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही चाकू है जिसे छोटू उर्फ राजेश के द्वारा पहनी पैंट की दाहिनी जेब से बरामद हुआ था। चाकू का फल तीन अंगुल व बेट चार अंगुल कुल लम्बाई सात अंगुल है जिसकी फर्द मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गयी थी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है चाकू जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया। दूसरा डिब्बा सादी मिट्टी वाला खोल कर साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही सादी मिट्टी है जिसे मेरे द्वारा घटनास्थल से ली गयी थी जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। तीसरा डिब्बा खूनालूद मिट्टी वाला खोला गया जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वहीं डिब्बा है जिसमें घटनास्थल से खूनालूद मिट्टी लेकर डिब्बे में भरा गया था। जिस पर वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया। चौथा डिब्बा जिसके अंदर कपड़े का टुकड़ा जिस पर मृतका का खून लगा था जिसे कब्जे में लिया गया था खोला गया तो साक्षी ने देखकर कहा कि यह वही डिब्बा है जिसे सील मोहर किया गया था जिस पर वस्तु प्रदर्श 4 डाला गया। पोटली के अंदर से निकले कपड़ों को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही कपड़े है जो मेरे द्वारा कब्जे में लिये गये थे जिन पर सामूहिक रूप से वस्तु प्रदर्श 5 डाला गया।

34– **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि–"आज जो पोटली खोली गयी है सारी अन्य छोटी–छोटी डिब्बियाँ व कपड़े उसी के अंदर से निकले है। खूनालूद कपड़ा मृतका के घर से लिया गया था। खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी घर के सामने से लिया गया था। थाने में लाकर सील किया था। चाकू अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया था किस तारीख को बरामद किया था यह मुझे याद नहीं है। खूनालूद कपड़ा व मिट्टी किस तारीख को कब्जे में लिया था मुझे याद नहीं है। कब्जे में ली गयी चीजों की फर्द बरामदगी व बरामदगी आलाकत्ल की फर्द मौके पर तैयार की गयी थी। चाकू की धार बहुत तेज है। धार की तरफ चाकू की फल की लम्बाई 5cm है तथा दूसरी तरफ जिधर धार नहीं है उसकी तिरछी कटान तक लम्बाई 3.5cm तथा चाकू के अगले हिस्से के कटान की लम्बाई लगभग 2cm है। इस चाकू की धार की तरफ की मोटाई 1mm से भी कम

है तथा बिना धार की तरफ चाकू के फल की मोटाई 1mm है। चाकू के बट की लम्बाई लगभग 6.5cm है। यह चाकू मैंने डाक्टर को दिखाकर यह स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की थी कि मृतका को आयी चोटें इस चाकू से आ सकती है या नहीं। चाकू को एफ०एस०एल के लिए किस दिनांक को भेजा गया था मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं कुछ सवालों के जवाब याद नहीं है इस लिए दे रहा हूँ ताकि न्यायालय के समक्ष सही बाते न आ सके। मुल्जिम को मूडा सवारन चौराहे से गिरफ्तार किया था। यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिम को उसके घर से गिरफ्तार किया हो और चाकू की बरामदगी फर्जी दिखायी हो। फर्द खूनालूद कपड़ा प्रदर्श क–2 पर किसी भी तैयारकर्ता/पुलिस अधिकारी न तो हस्ताक्षर है और न ही नीचे तारीख अंकित है। फर्द खूनालूद व सादी मिट्टी पर भी किसी पुलिस वाले के हस्ताक्षर नहीं है और न नीचे तारीख पड़ी है। गिरफ्तारी और बरामदगी का कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। गिरफ्तारी का समय मुझे याद नहीं है। मूडा सवारन चौराहे पर हर समय पब्लिक बनी रहती है। यह कहना गलत है कि मैंने अपने द्वारा की गयी सारी कार्यवाही थाने पर बैठे बैठे की हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने सारी फर्दें फर्जी रूप से तैयार की हो। जब मैंने आलाकत्ल सर्व सील मोहर किया था तब नमूना मोहर भी बनाया था। नमूना मोहर का मोनोग्राम क्या था यह याद नहीं है। नमूना मोहर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध न होने की मैं कोई वजह नहीं बता सकता।

35– अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने संबंधी इंद्राज दिनांक–07.07.2026 पत्रावली पर अंकित किया गया।

<u>अभियुक्त के बयान अं०धारा–313 दं०प्र०सं०–</u>

36– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त **छोटू उर्फ राजेश** का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के बारे में गलत कहा है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–1 ता 8 के बयानों के बाबत उसने बताया है कि गलत है, पी०डब्लू०–9 के बयान के बाबत कहा है कि गलत विवेचना कर फर्जी आरोप पत्र प्रेषित किया है, पी०डब्लू०–10 के बयान के बाबत कहा है कि गलत है, अपने विरूद्ध मुकदमा चलने का कारण रंजिश बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है। अभियुक्त ने अतिरिक्त रूप से यह कहा है कि निर्दोष हूं, फर्जी फंसा दिया गया है।

<u>सफाई साक्ष्यः–</u>

37– अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

38– अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

<u>अभियुक्त के तर्कः</u>–

39– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि पी०डब्लू० –1 ता पी०डब्लू०–5 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं एवं उनके बयान विश्वसनीय कोटि के नहीं हैं। घटना वाले दिन स्वीकृत रूप से डी०जे० जब रहा था, गांव के लोग आ जा रहे थे। अतः अभियुक्त को जाते हुये देखने मात्र से यह नहीं साबित होता कि अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गयी है। मामले में हेतुक साबित नहीं है। पी०डब्लू० –1 ने यह तहरीर में कहा है कि उसकी पुत्री जब बाथरूम कर कर आ रही थी तब अभियुक् ने उसे पकडकर मारा जबकि मृतका का मूत्राशय खाली पाया गया। पी०डब्लू०–1 ने कहा है कि उसने देखा कि हाथ एवं पेट पर चाकू से बार किया गया है, जबकि प्रति परीक्षा में हाथ पर कोई चोटें नहीं पायी गयी हैं। ऐसी दशा में , अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्त के खिलाफ लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं और अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>अभियोजन के तर्कः–</u>

40– विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

<u>निष्कर्ष</u>

41– न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त पर, जो अभियोजन की ओर से आरोप लगाये गये हैं, उनको अभियोजन की ओर से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

42– घटना दिनांक 14.08.2022 की समय एक बजे रात्रि की बतायी जाती है। तहरीर के अनुसार पी०डब्लू०–1 ने अभियुक्त को बिजली की रोशनी में मृतका को चाकू से मारते देखा है एवं पी०डब्लू० –1 अपनी पोती के शोर पर मौके पर पहुंची थी। पी०डब्लू०–1 ने प्रदर्श क–2, जो कि फर्द घटनास्थल से खूनालूदा मिट्टी लिये जाने का है, इस पर विवेचक ने हेड लाइन में खूनालूदा कपडा अंकित किया है। प्रदर्श

क–3, जिसमें विवेचक ने सादी मिट्टी व खूनालूदा मिट्टी लिये जाने का उल्लेख किया है, जबकि हेड लाइन में खूनालूदा मिट्टी का कथन किया है। पंचायतनामा दिनांक 14.08.2022 को 03.20 बजे पर आरम्भ हुआ है एवं 04.20 पर समाप्त हुआ है। पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–4, पी०डब्लू०–5 पंचायतनामा के गवाह हैं। पंचायतनामा में चोटें जो अंकित हैं कि–बांयी कलाई में, पेट में कटे के निशान, दाहिने सीने के नीचे दो कटे के निशान, दाहिनी तरफ कमर के नीचे जंघा के पास चोट के निशान, अर्थात पंचायतनामा से स्पष्ट है कि चोट का निशान हाथ पर भी था। परन्तु चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–14 में चिकित्सक ने कोई भी चोट हाथ पर पाये जाने का उल्लेख नहीं किया है। चिकित्सक द्वारा जो चोटें दौरान शव विच्छेदन अंकित की गयी है, वह भोके हुआ घाव पेट पर एवं एक घाव जंघा पर पाया गया है। विवेचक द्वारा पुलिस फार्म सं० –379 में पेट एवं जंघा पर घाव दिखाया गया है, हाथ में कटा हुआ होना दिखाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संलग्न नक्शा में जंघा एवं पेट पर चोट का निशान आना अंकित किया गया है। ऐसी दशा में, जबकि पंचायतनामा समय 04.20 A.M पर आरम्भ हुआ एवं शव विच्छेदन समय 01.30 P.M पर आरम्भ होकर समय 02.00 P.M. पर समाप्त हुआ। हाथ में आयी चोटें अंकित नहीं हो सकती है। या तो पंचायतनामा में गलती है अथवा पोस्टमार्टम में चिकित्सक द्वारा त्रुटि कारित की गयी है। दोनों कागजों में आपस में विरोधाभाष है।

43– न्यायालय के समक्ष जिस चाकू से चोट पंचायतनामा में आना कहा गया है, वह चाकू प्रस्तुत हुआ है, जो फर्द में पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित साक्षी ने अभियुक्त का होना कहा है, को पी०डब्लू०–10 के रूप में परीक्षित साक्षी धर्म प्रकाश शुक्ला द्वारा बरामद माल से साबित किया गया है। न्यायालय के समक्ष जो माल प्रस्तुत किया गया है, जिसकी साक्षी ने पहचान की है, बरामद चाकू का फल धारदार तीन अंगुल बट करीब चार अंगुल बताया गया है। न्यायालय के समक्ष चाकू की नाप के बारे में साक्षी ने कहा है कि धार की तरफ चाकू की फल की लम्बाई 5cm है तथा दूसरी तरफ जिधर धार नहीं है, उसकी तिरछी कटान तक लम्बाई 3.5cm तथा चाकू के अगले हिस्से के कटान की लम्बाई लगभग 2cm है। इस चाकू की धार की तरफ की मोटाई 1mm से भी कम है तथा बिना धार की तरफ चाकू के फल की मोटाई 1mm है। चाकू के बट की लम्बाई लगभग 6.5cm है। साक्षी द्वारा बरामद चाकू को सील किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु सील किये जाने पर नमूना मोहर से मिलान किया था, इसका उल्लेख नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार वस्तु सं०–2 पर मानव रुक्त पाया गया है, परन्तु किसका रक्त है, इसका निर्धारण नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की साइज 2cm एवं 1cm into abdominal cavity deep पायी गयी तथा 1cm x 0.5cm muscle deep भी अंकित किया गया है। फल की मोटाई 1 cm है तथा चाकू की मोटाई 1mm है, कोई भी चोट आघात आख्या में 1mm की नहीं है। जहां कोई भी चोट की मोटाई 1mm नहीं है, न्यूनतम 0.5cm की है, वहां यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि न्यायालय के समक्ष जो चाकू प्रस्तुत किया गया है, उसी चाकू से मृतका को चोटें कारित की गयी हो।

44– पी०डब्लू०–1 द्वारा थाने पर तहरीर प्रदर्श क–1 दिनांक 14.08.2022 को दी गयी, जिसमें यह कहा गया है कि मेरी पुत्री घर से बाहर लेट्रीन और पेशाब करने जा रही थी कि मैंने बिजली की रोशनी में देखा कि छोटू उर्फ राजेश हाथ में धारदार हथियार से मेरे बेटी के पेट पर वार कर दिया। मेरी बेटी चिल्लाई, तो मैं तथा मेरे लडके महेन्द्र दौडे तो छोटू उर्फ राजेश वहां से भाग गया। पी०डब्लू० –1 के रूप में वादिनी मुकदमा न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुयी है, उसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने देखा कि मेरी लडकी घर के बाहर घायल पडी थी, उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसके पेट में और हाथ में चाकू की चोटों के निशान थे। मैंने अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश को मौके से भागते हुये देखा था। पी०डब्लू०–2 के रूप में श्रीमती रुबी परीक्षित हुयी हैं, जिन्होंने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि मैंने बिजली की रोशनी में देखा था कि छोटू उर्फ राजेश उसकी बहन के ऊपर चाकू से मार रहा था, मेरी बहन चिल्लाई। मैं व मेरे घर के लोग दौडे तो छोटू मेरी बहन को घायल अवस्था में छोडकर भाग गया। जबकि पी०डब्लू०–2 ने प्रति परीक्षा में यह कहा है कि मेरे पहुंचने से पहले मेरी मां, मेरे बहनोई वहां मौजूद थे। मृतका वहीं पर पड़ी थी। इसके अलावा और कोई वहां पर नहीं था, मम्मी के मौके पर पहुंचने पर तीन से चार मिनट बाद मैं भी मौके पर पहुंच गई थी, अर्थात जो कथन पी०डब्लू०–2 ने मुख्य परीक्षा में घटना को स्वंय देखने का कथित किया, प्रति परीक्षा में आकर कहा कि जब वह मौके पर पहुंच थी तो वहां पर कोई नहीं था, अर्थात उसने अपने चक्षु से मृतका को मारते हुये नहीं देखा। पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–3 इस प्रकार घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

45– पी०डब्लू०–3 शीलम देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना वाले दिन मेरी बहन रात को एक बजे घर से बाहर निकली थी, लैट्रीन–बाथरूम के लिये पीछे से मैं भी अपने बच्चे को लैट्रीन कराने बाहर निकली थी, तो मैंने देखा कि छोटू मेरी बहन सीमा देवी को चाकू से मार रहा था तथा सीमा चिल्ला रही थी। घटना देखकर मैं भी चिल्लाई और लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक छोटू उर्फ राजेश मेरी

बहन सीमा देवी को मारकर भाग गया, मैंने लाइट की रोशनी में छोटू उर्फ राजेश को पहचाना था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मेरे मकान के पूरब तरफ जो सहन है, वहां से चिल्लाने की आवाज आयी तो सबसे पहले मेरी मां मौके पर पहुंची थी, मां के पहुंचने के तीन–चार मिनट के बाद मैं, मेरे पति, मेरे भाई व मेरी अन्य बहने भी मौके पर पहुंची थी। जब मैं मौके पर पहुंची थी, तो मेरी मां सीमा को पकडे हुये बैठी थी, और सीमा चोटहिल हालत में मौके पर जमीन पर पडी हुयी थी। मौके पर मेरी मां, मेरी छोटी भतीजी तथा चोटहिल हालत में सीमा पडी हुयी थी, उसके अलावा वहां पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। पी०डब्लू०–3 की मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा से स्पष्ट है कि पी०डब्लू०–3 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

46– पी०डब्लू०–4 महेन्द्र कुमार परीक्षित हुये हैं, जो कि मृतका का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब अभियुक्त को रोकने व पकडने के लिये मौके पर पहुंचे तो वह मौके से भाग गया, पकड मे नहीं आया, अर्थात पी०डब्लू०–1, 3, 4 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

47– पी०डब्लू०–5 दाताराम परीक्षित हुये हैं, जिन्होंने मुख्य परीक्षा में घटना को देखना नहीं कहा है और यह कहा है कि मुल्जिम छोटू उर्फ राजेश को खंडजे पर भागते देखा था। अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पी०डब्लू०–1, 2,3 परीक्षित कराये गये हैं, परन्तु उनके न्यायालय के समक्ष दिये साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि घटना के वे चक्षुदर्शी साक्षी थे। ऐसी दशा में, मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में घटना कारित करने के लिये हेतुक का साबित किया जाना आवश्यक होता है।

48– प्रदर्श क–1 में कोई हेतुक का उल्लेख नहीं है। पी०डब्लू0–1 ने न्यायालय के समक्ष दिये बयान में कहा गया है कि अभियुक्त राजेश मेरी लडकी से शादी करना चाहता था, परन्तु मेरी लडकी सीमा देवी राजेश उर्फ छोटू के साथ शाद करना नहीं चाहती थी। साक्षी ने प्रति परीक्षा में पूछे जाने पर यह कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी कि मुल्जिम मृतका से प्यार करता था व शादी करना चाहता था, नहीं थी। मैने मृतका और मुल्जिम को कभी बात करते हुये न देखा और न ही सुना। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मुल्जिम मृतका सीमा से किसी बात के लिये चिढ़ता था अथवा नहीं। इससे पूर्व मैने जो बयान दिया था उसमे यदि यह बात लिखी हो कि अभियुक्त एक तरफा प्यार मृतका से करता था और मृतका उसको नहीं चाहती थी इसलिये राजेश चिढ गया हो, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती कि उक्त बात कैसे लिख गयी, मैने यह बात अपने पूर्व के बयान में नहीं बताई थी। न्यायालय के समक्ष जिरह किये जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मैने मारते हुये नहीं देखा था, लेकिन जब राजेश चाकू मारकर भाग रहा था तब मैने उसे देखा था, अर्थात पी०डब्लू०–1 के बयान से कोई हेतुक साबित नहीं होता है। पी०डब्लू०–2 श्रीमती रूबी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश मेरी बहन से शादी करना चहता था, मेरी बहन मना करती थी, इसलिये घटना कारित की। पी०डब्लू०–2 की प्रति परीक्षा में यह आया है कि मैंने गांव में यह सुना था कि राजेश मृतका से शादी करना चाहता था। राजेश मृतका के साथ शादी करना चाहता था, इस बात की जानकारी मुझे तथा मेरे घर वालों को मृतका की मृत्यु के बाद हुई थी। मृत्यु से पहले मुझे तथा मेरे घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी कि राजेश मृतका से शादी करना चाहता है। यह बात कि मुल्जिम मृतका से जबरदस्ती शादी करना चाहता था यह बात मुझे तथा मेरे घर वालों को बाद में पता चली थी। साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया है कि मैंने गांव में कभी यह नहीं सुना कि सीमा तथा राजेश आपस में प्यार करते हो और बातचीत करते हो। राजेश ने कभी भी मुझसे या मेरे घर वालों से अथवा सीमा से अपने साथ शादी करने वाली बात नहीं कही थी। पी०डब्लू०–2 घटना के बाद उपरोक्त तथ्य को कैसे जाना, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी दशा में, पी०डब्लू०–1 का यह कथन कि मृतक से अभियुक्त प्यार करता था, यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं होता है और बयान अविश्वसनीय हो जाता है।

49– पी०डब्लू०–3 शीलम देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य से इन्कार किया है कि अभियुक्त मृतका से शादी करना चाहता था एवं प्यार करता था। पी०डब्लू०–4 जो कि मृतका का भाई है, उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, अर्थात पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–2 द्वारा जो हेतुक घटना का कहा जा रहा है, वह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है कि अभियुक्त ने मृतका की हत्या शादी से इन्कार करने के कारण की हो। पी०डब्लू०–1 की प्रति परीक्षा में यह भी आया है कि जब मैं गोला रिपोर्ट लिखाने गयी थी, तब गोला में मेरे गांव के प्रधान जी भी पहुंच गये थे। जो प्रधान ने चाहा था वही लिखकर मेरा अंगूठा लगवा लिया था। इसी दरख्वास्त को प्रधान जी ने मुझे कोतवाली गोला ले जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी, अर्थात तहरीर प्रदर्श क–1 में जो बातें पी०डब्लू० –1 ने लिखायी है, वह पी०डब्लू०–1 द्वारा पूर्णतया लिखायी गयी हो, यह तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। पी०डब्लू०–1 की प्रति परीक्षा में यह भी आया है कि घटना के समय पी०डब्लू०–3 अपनी ससुराल में थी,

जबकि पी०डब्लू०–3 घटना के समय स्वंय को उपस्थित होना बताती है। पी०डब्लू०–1 ने यह भी कहा है कि रूबी मेरी लडकी नहीं है। मेरे चचेरे देवर की लड़की है। मेरे चचेरे देवर का नाम दाताराम है। रूबी भी रात में अपने पिता दाताराम के घर पर थी। घटना वाली रात रूबी मेरे घर पर नहीं थी। पी०डब्लू० –4 ने भी अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा है कि रूबी देवी घटना वाली रात में मेरे घर पर नहीं थी, यह बात मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। पी०डब्लू०–2 के पिता का नाम दाताराम अंकित है। जबकि मृतका के पिता का नाम मेडईलाल था। दाताराम पी०डब्लू०–5 के रूप में परीक्षित हुये हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मेरी पांच लड़कियां हैं, जिनके नाम क्रमशः मीना देवी, शिल्पी देवी, गोल्डी देवी, रूबी देवी तथा शीलू देवी हैं। ऐसी दशा में, पी०डब्लू०–2 द्वारा प्रति परीक्षा में यह कहना कि मेरे भाई का नाम जहेंद्र तथा महेंद्र है, वह पी०डब्लू०–5 के बयानों के विरोधाभाषी है एवं यह भी कहना कि उसकी बहन का नाम शीलन व नीलम है, यह भी प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत है। पी०डब्लू०–5 ने घटना के समय पर प्रति परीक्षा में यह कहना कि मेरे सोने के एक घण्टे बाद ही हल्ला मच गया था, और यह भी कहना कि आठ–नौ बजे के बीच मैं अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रहा था, मैं समझ नहीं पाया कि यह हल्ला किस बात के लिये हो रहा है। इसीलिये मैने किसी प्रकार की घटना नहीं देखी थी, अर्थात पी०डब्लू०–5 भी घटना देखने से इन्कार कर रहा है। पी०डब्लू०–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहीं नहीं कहा है कि रूबी शोर पर मौके पर आयी थी।

50– उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पी०डब्लू०–1, 2, 3 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन साक्ष्य से घटना का हेतुक साबित नहीं है। जो चाकू बरामद किया गया है, उससे मृतका के शरीर पर आया घाव युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। चाकू पर मृतका का ही खून है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। पंचायतनामा में जो चोटें मृतका के शरीर पर अंकित हैं, वह आघात आख्या से सुमेलित नहीं हैं। ऐसी दशा में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अभियोजन साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियुक्त छोटू उर्फ राजेश के विरूद्ध धारा–302 भा०द०सं० के तहत लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, तद्नुसार अभियुक्त उपरोक्त उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

51– अभियुक्त **छोटू उर्फ राजेश** को सत्र वाद सत्र सं०–607/2022, अ०सं०–574/2022, थाना–गोला, जिला लखीमपुर खीरी के प्रकरण में आरोपित आरोप अं० धारा–302 भा०द०सं०, में **दोषमुक्त** किया जाता है।

52– अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका रिहाई परवाना अविलम्ब जारी हो। यदि अभियुक्त किसी अन्य वाद में निरूद्ध न हो, तो उसको तत्काल जिला कारागार लखीमपुर खीरी से रिहा किया जावे।

53– अभियुक्त जेल से रिहा होने के उपरान्त धारा–437 ए दं०प्र०सं० के उपबन्धों के अनुपालन में अंकन 50–50 हजार रूपये का बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सात दिन में दाखिल करे। **उक्त जमानतनामें छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।**

53– निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को जरिये विशेष लोक अभियोजक एवं एक प्रति सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को प्रेषित की जाये।

दिनांक–29.07.2026

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–29.07.2026

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
JO CODE–UP6081

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.07.31 10:13:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court